सत्यमेव जयते

लेखे एक नज़र में
2005–06

महालेखा नियंत्रक
व्यय विभाग
वित्त मंत्रालय

लेखे एक नज़र में
2005-06

विषय सूची

भूमिका 3

विहंगावलोकन 4

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 9

वित्तीय विवरण 14

प्राप्तियां 17

व्यय 21

ऋण और अन्य देयताएं 26

विनियोग लेखे 32

परिशिष्ट 35

1. दस वर्षीय सारांश
2. करेतर राजस्वों का विवरण
3. वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण
4. योजनेतर व्यय का विवरण
5. आर्थिक सहायताओं का विवरण
6. मंत्रालयों/विभागों का व्यय
7. 100 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक के अनुदान/विनियोग
8. आंतरिक ऋण की परिपक्वता का ब्योरा

लेखे एक नज़र में
2005-06
भूमिका

संविधान के अनुच्छेद 150 में "नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति जिस रूप में निर्धारित करें" सरकार के लेखों का रख-रखाव करने का प्रावधान किया गया है। लेखों के स्वरूप और अंशों के निर्धारण संबंधी कार्यकारी शक्तियां कार्य का आवंटन नियमावली के अधीन महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को प्रत्यायोजित की गई हैं। महालेखा नियंत्रक को संघ सरकार के वित्त लेखे और विनियोग लेखे (सिविल) तैयार करने का भी दायित्व सौंपा गया है।

वित्त लेखों में सिविल मंत्रालयों, रक्षा, डाक और रेलवे के लेनदेनों को शामिल करके संघ सरकार के समग्र लेखे शामिल होते हैं। इनमें भारत की समेकित निधि, लोक लेखों, लोक ऋण लेखों, अन्य देयताओं और लेखों में यथा अभिलिखित परिसम्पत्तियों से होने वाली प्राप्तियों और निर्गमों के लेखों सहित संघ सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण शामिल होते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 114 में निर्धारित किया गया है कि "भारत की समेकित निधि से इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन राशि को छोड़कर कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी"। विनियोग लेखे संसद द्वारा विभिन्न मांगों के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए विनियोगों का सरकारी विभागों द्वारा अनुपालन दर्शाने के लिए तैयार किए जाते हैं। मूल मांग और अंतिम विनियोग और वास्तविक व्यय के बीच महत्वपूर्ण अंतर (अधिक व्यय और बचत दोनों) के लिए स्पष्टीकरण दिया जाता है।

वर्ष 2005-06 के दौरान, 5 विनियोगों और 100 अनुदानों के अंतर्गत संसद द्वारा निधियां उपलब्ध कराई गई थीं (नीचे दी गई सारणी के अनुसार)।

	विनियोग	अनुदान
सिविल	5	93
रक्षा	-	6
डाक	-	1
कुल	**5**	**100**

यह दस्तावेज वर्ष 2005-06 के वित्त लेखे और विनियोग लेखे (सिविल) जिनमें सरकार के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण समाविष्ट होते हैं, में दिए गए ब्योरेवार वित्तीय निष्पादन का सार उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है।

विहंगावलोकन

प्राप्ति, व्यय और घाटा*

वर्ष 2005-2006 के दौरान, कुल प्राप्तियां जिसमें उधार की राशियां शामिल हैं 600,508 करोड़ रुपए थीं। सकल कर प्राप्तियां 364,649 करोड़ रुपए थीं जिनमें से 94,385 करोड़ रुपए (25.9%) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कर के भाग के रूप में अंतरित कर दिए गए थे। केन्द्र द्वारा रखा गया निवल कर राजस्व 270,264 करोड़ रुपए था। सरकार की कुल ऋणेतर प्राप्तियां (निवल अंतरण) 359,554 करोड़ रुपए थीं।

भारत की समेकित निधि से कुल सरकारी व्यय 506,123 करोड़ रुपए था। इसमें से, राजस्व व्यय 439,762 करोड़ रुपए (87%) और पूंजीगत व्यय 66,362 करोड़ रु.(13%) था। कुल व्यय में योजना व्यय का भाग 28% (140,638 करोड़ रु.) था, शेष 72%(365,485 करोड़ रु.) योजनेतर व्यय था।

वित्तीय विशेषताएं 2005-2006
(करोड़ रुपए)

	विवरण	संशोधित अनुमान 2005-2006	वास्तविक 2005-2006	वास्तविक 2004-2005	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
1.	**राजस्व प्राप्तियां**	**348,474**	**347,462**	**306,013**	**14%**
2.	कर राजस्व(केन्द्र को निवल)	274,139	270,264	224,798	20%
3.	करेतर राजस्व	74,335	77,198	81,215	-5%
4.	**पूंजीगत प्राप्तियां**	**14,056**	**12,226**	**66,467**	**-82%**
5.	कर्जों की वसूलियां	11,700	10,645	62,043	-83%
6.	अन्य प्राप्तियां	2,356	1,581	4,424	-64%
7.	**कुल प्राप्तियां (1+4)**	**362,530**	**359,688**	**372,480**	**-3%**
8.	**योजनेतर व्यय**	**364,914**	**365,485**	**365,390**	**0%**
9.	राजस्व लेखे पर	326,142	327,903	296,857	10%
10.	ब्याज अदायगियां	130,032	132,630	126,934	4%
11.	पूंजीगत लेखे पर	38,772	37,582	68,533	-45%
12.	**योजना व्यय**	**143,791**	**140,638**	**132,292**	**6%**
13.	राजस्व लेखे पर	114,153	111,858	87,494	28%
14.	पूंजीगत लेखे पर	29,638	28,780	44,798	-36%
15.	**कुल व्यय (8+12)**	**508,705**	**506,123**	**497,682**	**2%**
16.	राजस्व व्यय (9+13)	440,295	439,761	384,351	14%
17.	पूंजीगत व्यय (11+14)	68,410	66,362	113,331	-41%
18.	राजस्व घाटा (16-1)	91,821	92,299	78,338	18%
19.	**राजकोषीय घाटा [15-7]**	**146,175**	**146,435**	**125,202**	**17%**
20.	प्राथमिक घाटा (19-10)	16,143	13,805	-1,732	905%

*इस दस्तावेज में दर्शाए गए प्राप्तियों और व्यय के आंकड़े (वित्तीय विवरणों में दिए गए आंकड़ों को छोड़कर) बजट दस्तावेजों के अनुसार निवलित किए गए हैं।

पिछले दशक के दौरान, सरकार का सकल कर राजस्व 128,762 करोड़ रुपए [1996-97] से लगभग तीन गुना बढ़कर 364,649 करोड़ रु. [2005-06] हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, वर्ष 2005-06 के दौरान सकल कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 10.22% था जोकि वर्ष 2002-03 से लगातार बढ़ रहा है। तथापि, करेतर राजस्व जोकि वर्ष 2001-02 में सकल घरेलू उत्पाद के 3% के उच्च स्तर पर था उसमें गिरावट आकर वर्ष 2005-06 में 2.16% हो गया है।

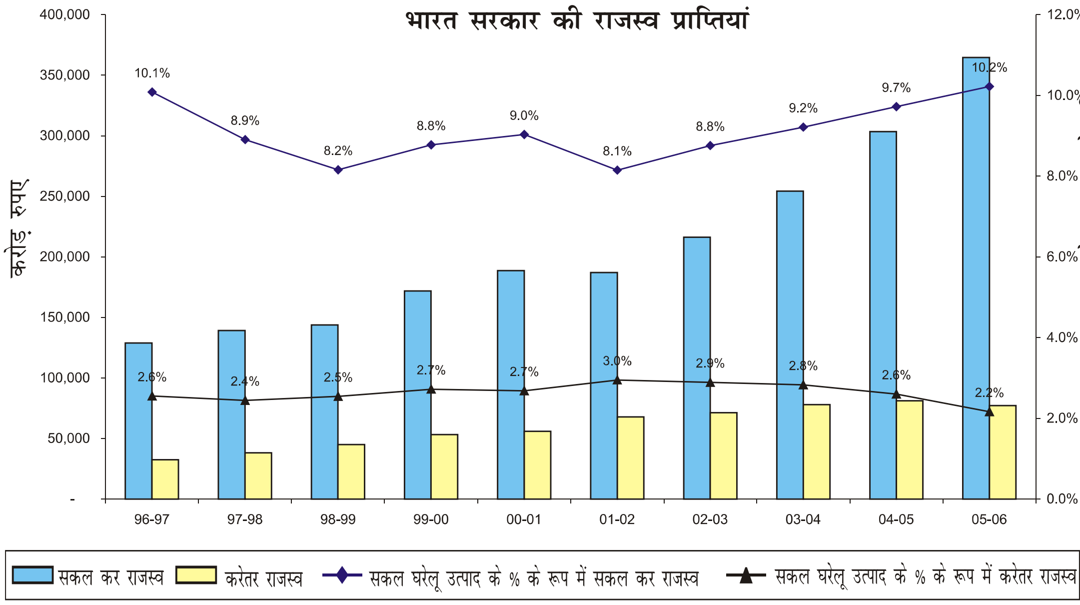

राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है। वर्ष 2005-06 में, यह सकल घरेलू उत्पाद का 12.33% था जो कि पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक था। पूंजीगत व्यय वर्ष 2005-06 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.86% था।

भारत सरकार का व्यय

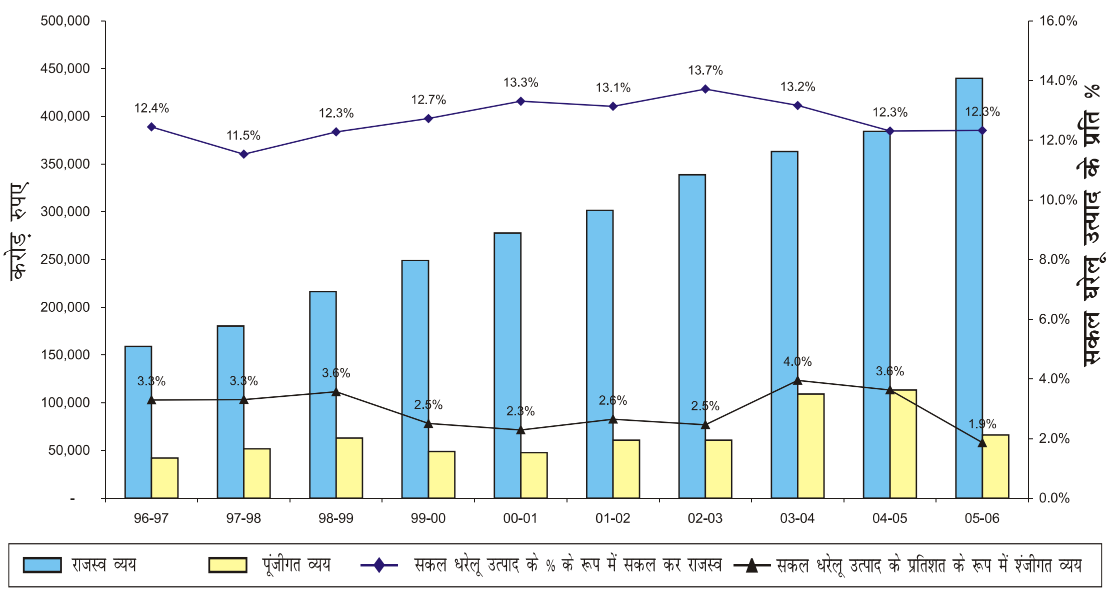

केन्द्र की निवल प्राप्तियां कुल व्यय का केवल 71% पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं और इस प्रकार इसमें 146,569 करोड़ रु. का घाटा रहा। वर्ष का राजस्व घाटा 92,299 करोड़ रुपए था। प्रारम्भिक घाटा 13,805 करोड़ रुपए था, यदि ब्याज अदायगियों को छोड़ दिया जाए । सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.11% और राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.59% था।

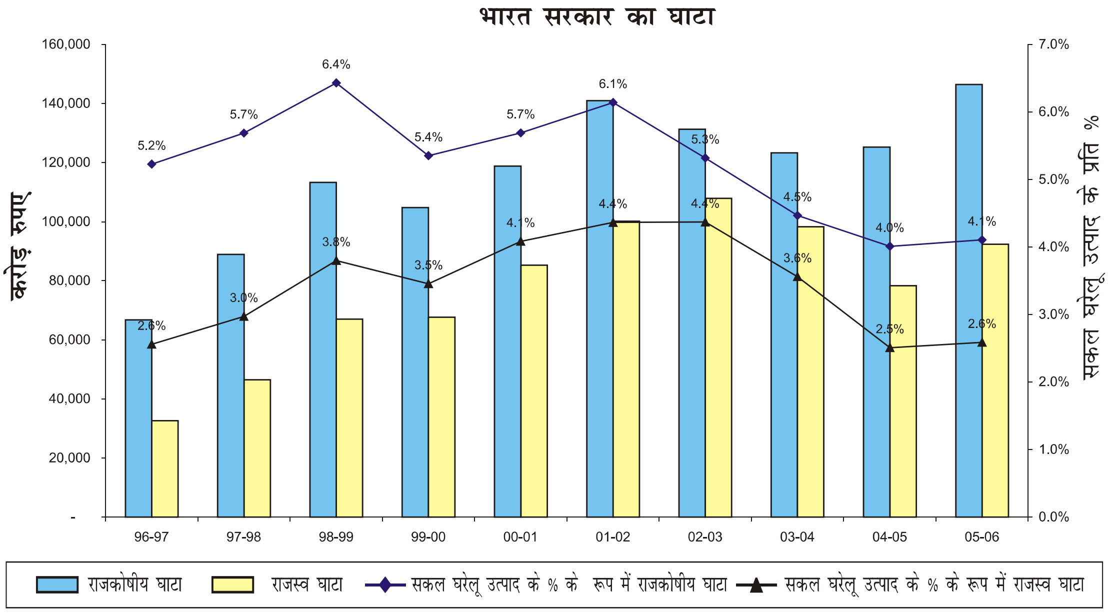

घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

146,435 करोड़ रुपए के घाटे को मुख्य रूप से 113,192 करोड़ रुपए के आंतरिक ऋण से वित्तपोषित किया गया और बाह्य ऋण 33,365 करोड़ रुपए था।

घाटे का वित्तपोषण
(करोड़ रुपए)

विवरण	2005-06		2004-05	
आंतरिक ऋण	113,192	77%	166,178	133%
बाजार कर्ज	103,374	70%	51,031	41%
खजाना बिल	27,600	19%	8,523	7%
प्रतिपूर्ति और अन्य बांड	6,338	4%	18,077	14%
अन्य	(-)24,120	(-)16%	88,547	71%
परिक्रामी निधि सहित बाह्य ऋण*	33,365	23%	14,753	12%
रोकड़ आहरण द्वारा कमी	14,261	10%	-72,341	-58%
लोक लेखा	(-)14,383	(-)10%	16,612	13%
कुल वित्तपोषण	**146,435**	**100%**	**125,202**	**100%**

*इसमें विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन होने के कारण बट्टे खाते डाले गए 25,893 करोड़ रु. शामिल हैं। तदनुसार, बाह्य ऋण द्वारा घाटे का वास्तविक वित्तपोषण 7472 करोड़ रु. था।

ऋण और अन्य देयताएं

वर्ष के दौरान, सरकार ने 1,262,363 करोड़ रुपए के नए ऋण का अनुबंध किया और पुराने ऋण के 1,115,210 करोड़ रुपए चुकाए। निवल परिणाम यह हुआ कि लोक ऋण में 147,153 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई। 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार बकाया कुल ऋण 1,484,001 करोड़ रुपए था। वर्ष 2005-06 के अंत में ब्याज वाला कुल दायित्व 1,537,651 करोड़ रुपए था और कुल देयताएं 1,868,843 करोड़ रुपए थीं।

ऋण और अन्य देयताओं में परिवर्तन
(करोड़ रुपए)

विवरण	01-अप्रैल-05	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च-06	वृद्धि/कमी
ऋण*	1,336,848	1,262,363	1,115,210	1,484,001	147,153
अल्प बचतें, भविष्य निधि आदि**	263,048	291,276	278,944	275,380	12,332
बिना ब्याज वाली अन्य देयताएं	46,787	60,035	51,010	55,812	9,025
ब्याज वाली अन्य देयताएं	46,203	25,505	18,058	53,650	7,447
कुल ऋण और अन्य देयताएं	**1,692,886**	**1,639,179**	**1,463,222**	**1,868,843**	**175,957**

पिछले दस वर्षों में, लोक ऋण [वर्तमान मूल्य पर] जोकि वर्ष 1996-97 में 493,553 करोड़ रुपए था वह वर्ष 2005-06 में तीन गुना होकर 1,583,957 करोड़ रुपए हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में, लोक ऋण [वर्तमान मूल्य पर] जोकि वर्ष 1996-97 में सकल घरेलू उत्पाद का 38.65% था वह बढ़कर वर्ष 2005-06 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद का 44.40% हो गया। वर्ष 2005-06 के अंत में, आंतरिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 38.96% और बाह्य ऋण [वर्तमान मूल्य पर] सकल घरेलू उत्पाद का 5.44% था।

भारत सरकार का ऋण और अन्य देयताएं

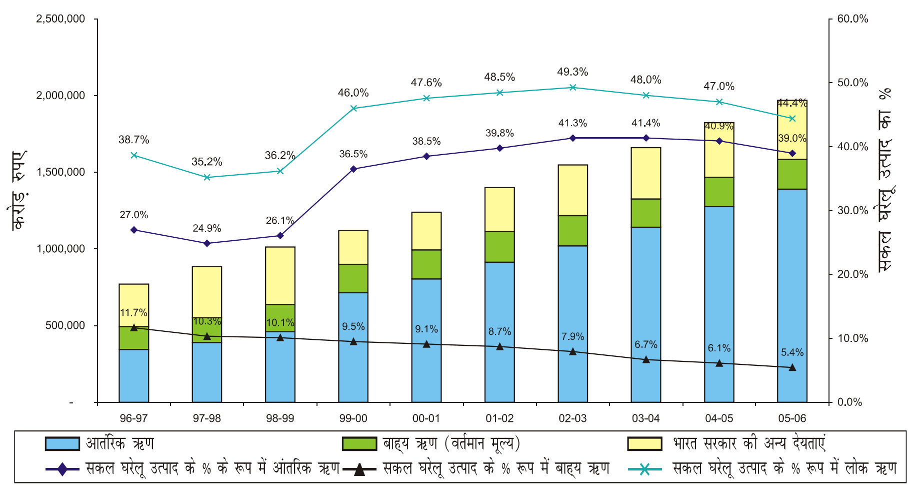

*बाह्य ऋण (94,243 करोड़ रुपए)ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया है। यदि यह वर्तमान मूल्य (194,198 करोड़ रुपए) पर लिया जाता तो 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार लोक ऋण की राशि 1,583,957 करोड़ रुपए होती।

**31-3-2006 की स्थिति के अनुसार अल्प बचतों, भविष्य निधि आदि से संबंधित केंद्र सरकार की कुल देयता 666,682 करोड़ रुपए है। इसमें से, 391,302 करोड़ रुपए का राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश किया गया है और इस प्रकार इस लेखे में 275,380 करोड़ रुपए की निवल बकाया देयता रह गई है।

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

वर्ष 2005-06 के दौरान, सरकार ने 359,688 करोड़ रुपए (राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अंतरण का निवल) का राजस्व एकत्रित किया और 1,261,767 करोड़ रुपए का ऋण लिया। भारत की समेकित निधि में प्राप्त की गई कुल निधियां, इस प्रकार, 1,621,455 करोड़ रुपए थीं। इसमें से, 1,115,210 करोड़ रुपए पिछले ऋण की पुनर्अदायगी करने के लिए उपयोग में लाए गए और 506,123 करोड़ रुपए सरकारों के चालू कार्यकलापों पर व्यय किए गए। इसके परिणामस्वरूप, भारत की समेकित निधि में 122 करोड़ रुपए की कमी हो गई जिसे सरकार ने नकद शेष से उधार लिया।

निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग
(करोड़ रुपए)

स्रोत			अनुप्रयोग		
	2005-06	2004-05		2005-06	2004-05
राजस्व	**359,554**	**372,480**	**व्यय**	**506,123**	**465,772**
कर	270,264	224,798	योजना	140,638	132,292
करेतर	77,198	81,215	योजनेतर	365,485	*333,480
ऋणेतर पूंजी	12,092	66,467	*ब्याज अदायगी*	*132,631*	*126,934*
अन्य स्रोत	**1,261,645**	**649,561**	**अन्य अनुप्रयोग**	**1,115,210**	**556,269**
नया ऋण	1,261,767	705,289	ऋण की पुनर्अदायगी	1,115,210	556,269
आंतरिक	*1,221,404*	*683,435*	*आंतरिक*	*1,108,212*	*549,167*
बाह्य	*40,363*	*21,854*	*बाह्य*	*6,998*	*7,102*
रोकड़ आहरण द्वारा कमी	(-)14,261	-72,341			
लोक लेखे पर अधिशेष	(-)14,383	16,612			
जोड़	**1,621,333**	1,022,041	जोड़	**1,621,333**	**1,022,041**

पिछले वर्ष की तुलना में, सरकार की प्राप्तियों में 3.4% की वृद्धि हुई। सकल कर प्राप्तियों में 20.2% की वृद्धि हुई। कर प्राप्तियों में 20% की वृद्धि हुई जबकि करेतर प्राप्तियों में 5% की कमी आई। सरकारी व्यय में 1.7% की वृद्धि हुई। अधिकांश वृद्धि राजस्व व्यय में हुई (14.4%)। पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा 41.5% की कमी हुई। ऐसा इस कारण से हुआ कि वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को प्रतिभूतियों की कोई पुनर्अदायगी नहीं की गई थी जोकि वर्ष 2003-04 और वर्ष 2004-05 में क्रमशः 46211 करोड़ रुपए और 32675 करोड़ रुपए थी। योजना व्यय में 6.3% की वृद्धि हुई और योजनेतर व्यय पिछले वर्ष के समान लगभग स्थिर रहा ।

*यहां दर्शाए गए वर्ष 2004-05 के योजनेतर व्यय में 1.4.1999 से पूर्व राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों के मोचन पर व्यय किए गए 32,675 करोड़ रुपए शामिल नहीं है।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

आंकड़े प्रदाता संगठन

इस पुस्तिका में जो वित्तीय विवरण और लेखे प्रस्तुत किए गए हैं वे भारत सरकार और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। अन्य सरकारी संगठनों जैसे राज्य सरकारों, अन्य संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारी स्वामित्व वाले व्यावसायिक उद्यमों, स्वायत्तशासी निकायों आदि के लेखों को शामिल नहीं किया गया है।

लेखे अनुच्छेद 151(1) के अधीन सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

लेखों का स्वरूप और विषय-वस्तु

संविधान के अनुच्छेद 150 में "नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति जिस रूप में निर्धारित करें" सरकार के लेखों का रख-रखाव करने का प्रावधान किया गया है। लेखों के स्वरूप और अंशों के निर्धारण संबंधी कार्यकारी शक्तियां कार्य का आवंटन नियमावली के अधीन महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को प्रत्यायोजित की गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी लेखाकरण नियमावली, 1990 तैयार की गई है जिसमें सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

सरकारी वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाना है उसका निर्धारण भी संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 266 के प्रावधानों के अनुसार, सभी सरकारी राजस्वों जिनमें सरकार द्वारा लिए गए कर्ज और उधार दी गई राशियों से होने वाली आय शामिल है, को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और सरकार द्वारा प्राप्त की गई अन्य सभी धनराशियां लोक लेखे में जमा कर दी जाती हैं। सभी सरकारी व्यय भारत की समेकित निधि से पूरा किया जाता है।

अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए जिसे प्राधिकृत करना संसद से लंबित रखा जाता है, सरकार के पास अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि रखी जाती है जिसमें 500 करोड़ रुपए की राशि जमा रहती है।

भारत की समेकित निधि में से धनराशियों का विनियोग अनुच्छेद 112 से 117 में समाविष्ट सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

लेखाकरण का रोकड़ आधार

सरकार के लेखे रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं। राजस्वों और व्ययों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें वे वसूल अथवा अदा किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान सरकार को देय या सरकार द्वारा देय राशियों को मान्यता प्रदान नहीं की जाती।

सरकारी लेखों में मुख्य रूप से निम्नलिखित को दर्ज किया जाता है:

(क) सरकारी रोकड़ शेष में और उसमें से होने वाले नकदी प्रवाह का रख-रखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है,

(ख) सरकारी देयताओं (लोक ऋण और लोक लेखे पर लेनदेन) और वित्तीय परिसम्पत्तियों (कर्ज और अग्रिम) का विवरण, और

(ग) कुछ नकदीतर लेनदेन (समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के बीच अंत: निधि अंतरण, वस्तु के रूप में बाहरी सहायता, हानियों को बट्टे खाते डालना और पिछले कर्जों को अनुदान आदि में परिवर्तित करना)।

वित्तीय विवरण और लेखे पारंपरिक लागत की परंपरा के अनुसार रखे जाते हैं। बाह्य ऋण को ऋण का करार करने के समय लागू विनिमय दर पर दर्शाया गया है। इसी प्रकार से, सरकारी वित्तीय निवेशों (इक्विटियों और कर्जों) को उनके ऐतिहासिक मूल्यों पर दर्शाया जाता है। ऐसी परिसम्पत्तियों के मूल्य की हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता ।

लेखाकरण का आधार रोकड़ होता है अत: भौतिक परिसम्पत्तियों को मूल्यह्रासित अथवा परिशोधित नहीं किया जाता । भौतिक परिसम्पत्तियों के जीवन का अंत होने पर उनकी हानियों अथवा बट्टे खाते डाले जाने को भी मान्य अथवा व्ययित नहीं किया जाता।

यहां प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों में उन सरकारी कर्मचारियों के अधिवर्षिता लाभों से संबंधित सरकार की देयता शामिल नहीं है जो पेंशन की परिभाषित लाभ स्कीम के अंतर्गत आते हैं और उन्हें 'आपके जाने पर अदायगी' आधार पर अदायगी की जाती है।

लेखाकरण अवधि

लेखों के लिए अप्रैल से मार्च का वार्षिक बजटीय चक्र अपनाया जाता है।

मुद्रा

लेखे भारतीय रुपए में रखे जाते हैं। विदेशी मुद्रा लेनदेनों (प्राप्तियां और अदायगियां दोनों) को भी लागू परिवर्तन दरों पर भारतीय रुपयों में दर्ज किया जाता है।

राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां/व्यय

राजस्व प्राप्तियों में, परिसम्पत्तियों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों को छोड़कर सभी कर और करेतर प्राप्तियों को शामिल किया जाता है।

राजस्व व्यय आवर्ती स्वरूप के व्यय होते हैं और उन्हें राजस्व प्राप्तियों से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। राज्य सरकारों और अन्य संगठनों को अंतरण अदायगियां जिनमें प्राप्तकर्ता द्वारा परिसम्पत्ति सृजन के लिए निर्धारित अंतरण अदायगियां भी शामिल हैं, को भी

राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से सरकारी परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुई आय शामिल होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से हुई आय भी शामिल है।

पूंजीगत व्यय वे होते हैं जो सामग्री और स्थायी स्वरूप की ठोस परिसम्पत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इनमें अचल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण, मशीनरी और उपस्कर तथा सरकारी इक्विटी निवेशों पर किया गया व्यय शामिल होता है। सरकार के ऋण प्रचालन को भी पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाता है।

विनिमय दर में घट-बढ़

विदेशी कर्जों को पारंपरिक विनिमय दर अर्थात ऋण के करार के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। इस प्रकार के कर्जों की पुनर्अदायगियों को भी पुनर्अदायगी के समय प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विनिमय दर में घट-बढ़ के कारण बाह्य कर्जों पर हानि/लाभ को कर्ज की पूर्ण अदायगी के पश्चात "8680 – विविध सरकारी लेखे" को व्ययित किया जाता है।

बाह्य सहायता

सहायता सामग्री, उपस्कर या अन्य आपूर्तियों के रूप में बाह्य सहायता को भी इस प्रकार की सहायता के मूल्य पर पहचान की जाती है और प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। सरकारी विभागों द्वारा उपयोग के लिए ऐसी सामग्री के आवंटन अथवा अन्य संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में संवितरण को राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

लेखों की संरचना

सरकारी लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं:-

I. भारत की समेकित निधि

सरकार द्वारा आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, भू-राजस्व (कर राजस्व) जैसे कराधान से प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व और रेलवे, डाक, परिवहन आदि से प्राप्ति (करेतर राजस्व) जैसे सरकारी कार्यों से सरकार को होने वाली अन्य प्राप्तियों को समेकित निधि में जमा कर दिया जाता है। इसी प्रकार से, सरकार द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जारी करके प्राप्त किए गए सभी कर्जों, खजाना बिलों (आंतरिक ऋण) और विदेशी सरकारों व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं से प्राप्त कर्जों (बाह्य ऋण) तथा सरकार को कर्जों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज के रूप में प्राप्त सभी प्रकार की धनराशियों को भी इस निधि में जमा कर दिया जाता है। आंतरिक और बाह्य ऋण की पुनर्अदायगी और विभिन्न प्रयोजनों

के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज जारी किए जाने सहित अपना कार्य करने के लिए सरकार द्वारा किए गए समस्त व्यय को इस निधि के नामे डाला जाता है।

भारत की समेकित निधि संबंधी लेनदेनों को 6-स्तरीय उत्क्रम ढांचे वाले कार्यों एवं कार्यक्रमों [जोकि अधिकांशत: विकास के योजना शीर्ष के अनुरूप होते हैं और ऐसा न होने पर संविधानिक और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं] में विभाजित कार्यात्मक वर्गीकरण का उपयोग करते हुए निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

- ❖ मुख्य शीर्ष – सरकार के मुख्य कार्य का द्योतक है।
- ❖ उप मुख्य शीर्ष – सरकार के उप-कार्य का द्योतक है।
- ❖ लघु शीर्ष – सरकार के कार्यक्रम का द्योतक है।
- ❖ उप शीर्ष – स्कीम का द्योतक है।
- ❖ ब्योरेवार शीर्ष – उप स्कीम का द्योतक है, और
- ❖ वस्तुगत शीर्ष – व्यय के उद्देश्य के लिए [जैसे वेतन, कार्यालय व्यय]

व्यय लेनदेनों को 'योजना' या 'योजनेतर' व्यय और 'स्वीकृत' या 'प्रभारित' व्यय में भी वर्गीकृत किया जाता है।

II. भारत की आकस्मिकता निधि

यह निधि अग्रदाय स्वरूप की होती है और उसे भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में रखा जाता है ताकि सरकार अप्रत्याशित व्यय को संसद से उसे प्राधिकृत कराए जाने को लंबित रखकर पूरा कर सके। इस धनराशि का उपयोग प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत प्रदान किए जाने और साथ ही सरकार द्वारा किसी नई नीति को लागू करने के निर्णय को संसद से इसका अनुमोदन लंबित रखते हुए कार्यान्वित करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे सभी मामलों में, संसद का अगला सत्र बुलाए जाने पर चालू वित्त वर्ष के दौरान स्कीम/परियोजना पर किए जाने वाले कुल व्यय को दर्शाते हुए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। संसद द्वारा विधेयक को स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात, आकस्मिकता निधि में से पहले ही खर्च की जा चुकी धनराशि की संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष आदि में व्यय नामे डालकर भारत की समेकित निधि में प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

III. भारत का लोक लेखा

सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली समस्त सार्वजनिक धनराशि, उन धनराशियों से भिन्न जो भारत की समेकित निधि में जमा की जानी होती हैं, लोक लेखे के अंतर्गत लेखाबद्ध की जाती है। लोक लेखे में जमा की जाने वाली प्राप्तियों और इसमें से किए जाने वाले संवितरणों को संसद से स्वीकृत नहीं कराया जाता। इस लेखे के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्य रूप से बचत प्रमाण-पत्रों की बिक्री, सामान्य भविष्य निधि और लोक भविष्य निधि में अंशदानों, सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति जमाओं और बयाना जमाओं से आती हैं। इन

प्राप्तियों के संबंध में, सरकार बैंकर या न्यासी की भूमिका निभाती है और संविदा/कार्य पूरा होने के बाद धनराशि वापस करती है। लोक लेखे में विभिन्न उचंत और प्रेषण शीर्ष भी शामिल होते हैं।

लोक लेखे संबंधी लेनदेनों को प्राप्तियों और संवितरणों के रूप में दर्ज किया जाता है और उन्हें निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- ❖ अल्प बचत
- ❖ आरक्षित निधियां
- ❖ जमा और अग्रिम
- ❖ उचंत और विविध
- ❖ प्रेषण
- ❖ रोकड़ शेष

वित्तीय विवरण

वित्तीय स्थिति का विवरण (करोड़ रुपए)		
	31 मार्च, 2006	31 मार्च, 2005
देयताएं	**1,866,040**	**1,689,587**
क. लोक ऋण	1,484,001	1,336,849
1. आंतरिक ऋण	1,389,758	1,275,971
2. बाह्य ऋण	94,243	60,878
ख. आकस्मिकता निधि	500	50
ग. लोक लेखे पर देयताएं (निवेशों/अग्रिम का निवल)	381,539	352,688
1. आरक्षित निधियां	22,843	17,950
2. जमा और अग्रिम	83,316	71,690
3. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	275,380	263,048
परिसम्पत्तियां	**1,866,040**	**1,689,587**
क. रोकड़ और रोकड़ समकक्ष	85,488	99,748
1. रोकड़ शेष	65,488	79,748
2. अल्पावधि रोकड़ निवेश	20,000	20,000
ख. अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां		366,340
1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी निवेश	142,501	135,537
2. कर्ज तथा अग्रिम	231,035	230,515
क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	158,024	161,168
ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	73,011	69,347
3. उचंत और विविध	166	288
ग. संचित घाटा*	1,406,850	1,223,499

*पिछले वर्षों के संचित घाटे और अधिशेष को दर्शाता है।

प्रचालन विवरण (करोड़ रुपए)		
	2005-06	2004-05
प्राप्तियां		
राजस्व लेखा	**430,940**	**376,871**
कर राजस्व	271,766	226,363
करेतर राजस्व	156,151	147,946
सहायता अनुदान	3,023	2,562
अन्य प्राप्तियां	**1,569**	**2,389**
विनिवेश पर प्रीमियम	1,558	2,328
अन्य	11	61
कुल प्राप्तियां	**432,509**	**379,260**
व्यय		
राजस्व लेखा	**540,637**	**455,571**
सामान्य सेवाएं	239,895	222,832
सामाजिक सेवाएं	383,79	30,287
आर्थिक सेवाएं	187,026	147,131
सहायता अनुदान	75,337	55,321
पूंजीगत लेखा	**49,155**	**48,091**
सामान्य सेवाएं	35,033	34,073
सामाजिक सेवाएं	781	827
आर्थिक सेवाएं	13,341	13,191
विविध	**25,896**	**5,652**
कुल व्यय	**615,688**	**509,314**
पूर्व अवधि समायोजन	172	13
घाटा **	**183,351**	**130,067**

** घाटे को वित्तीय स्थिति के विवरण में अग्रेनीत करके संचित घाटे के रूप में दर्शाया जाता है।

प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण (करोड़ रुपए)		
	2005-06	2004-05
प्राप्तियां	**2,117,903**	**1,578,330**
भारत की समेकित निधि	**1,706,684**	**1,150,824**
कर राजस्व	271,766	226,363
करेतर राजस्व	156,151	147,946
सहायता अनुदान और अंशदान	3,023	2,562
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	1,581	4,424
लोक ऋण	1,262,362	705,289
कर्ज तथा अग्रिम	11,801	64,240
भारत की आकस्मिकता निधि	450	
लोक लेखा	**410,769**	**427,506**
अल्प बचतें, भविष्य निधि	291,276	284,992
आरक्षित निधियां	36,715	27,074
जमा तथा अग्रिम	75,498	100,447
उचंत और विविध	6,552	13,668
प्रेषण	728	1,325
संवितरण	**2,132,164**	**1,505,990**
भारत की समेकित निधि	**1,724,909**	**1,105,602**
सामान्य सेवाएं	239,895	222,832
सामाजिक सेवाएं	38,379	30,287
आर्थिक सेवाएं	187,026	147,131
सहायता अनुदान और अंशदान	75,337	55,321
पूंजीगत परिव्यय	56,119	53,654
ऋण की पुनर्अदायगी	1,115,210	556,269
कर्ज तथा अग्रिम	12,493	40,108
भारत की आकस्मिकता निधि को अंतरण	450	
लोक लेखा	**407,255**	**400,388**
अल्प बचतें, भविष्य निधि	278,944	263,293
आरक्षित निधियां	31,822	23,374
जमा तथा अग्रिम	63,872	103,993
उचंत और विविध	32,085	9,279
प्रेषण	532	449
संवितरणों से अधिक प्राप्तियां	**-14,261**	**72,340**
प्रारंभिक रोकड़ शेष	79,748	7,408
अंत रोकड़ शेष	**65,487**	**79,748**

प्राप्तियां

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों और ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्तियों में, कर राजस्व और करेतर राजस्व शामिल हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान, कर राजस्व कुल सरकारी ऋणेतर प्राप्तियों का लगभग 75.17% था। शेष राजस्व करेतर राजस्वों (21.47%) और ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों (3.36%) से प्राप्त हुआ। संघ उत्पाद शुल्क सरकार का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत बना रहा जिसका कुल सरकारी ऋणेतर प्राप्तियों में लगभग एक चौथाई अंशदान रहा। ऋणेतर सरकारी प्राप्तियों के अन्य मुख्य अंशदाता निगम कर (21%), सीमा शुल्क (13%), आयकर (10%) ब्याज (6%) और कर्जों की वसूली (3%)हैं।

भारत की समेकित निधि में प्राप्तियां (2005-06)

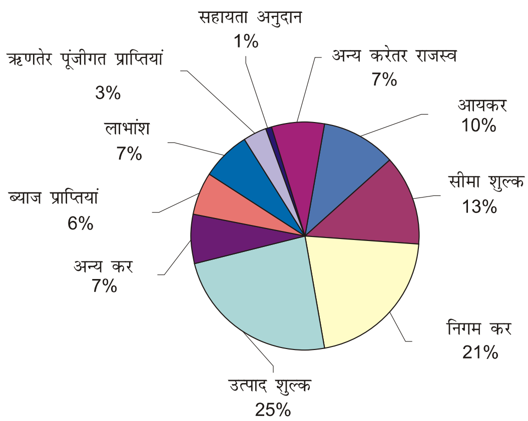

वर्ष 2005-2006 के लिए भारत सरकार की कुल प्राप्तियां [राज्यों को हस्तांतरित करों का निवल] 359,688 करोड़ रुपए थीं - इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 12,792 करोड़ रु. [3.4%] की कमी हुई। यह कमी मुख्य रूप से कम ब्याज प्राप्त होने के कारण थी जो 31,690 करोड़ रु. से 30% घटकर 22,032 करोड़ रु. हो गई। तथापि, कर राजस्व 224,798 करोड़ रु. से 20% बढ़कर 270,264 करोड़ रु. हो गया। सरकार की अन्य प्राप्तियाँ, जिसमें मुख्य रूप से कर्जों की वसूलियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की शेयर पूंजी के विनिवेश से आय और ऐसे विनिवेशों पर प्राप्त प्रीमियम शामिल हैं, भी 66,467 करोड़ रु. से कम होकर 12,226 करोड़ रु. हो गईं।

ऋणेतर प्राप्तियां
(करोड़ रुपए)

विवरण	2005-06	2004-05	वृद्धि
कर राजस्व	270,264	224,798	20%
करेतर राजस्व	77,198	81,215	-5%
अन्य प्राप्तियां	12,226	66,467	-82%
कुल ऋणेतर प्राप्तियां	**359,688**	**372,480**	**-3%**

कर राजस्व

कर राजस्व संग्रहण (केंद्र को निवल) 2004-05 के 224,798 करोड़ रु. से बढ़कर 2005-06 में 270,264 करोड़ रु. हो गया - इसमें 45,466 करोड़ रु. [20%] की वृद्धि हुई। मुख्य वृद्धियां सेवा कर (60%), निगम कर (24%), आय कर (7%) सीमा शुल्क (12%) और उत्पाद शुल्क (12%) में देखी गईं।

कर राजस्व
(करोड़ रुपयों में)

विवरण	2005-06			2004-05			सकल कर में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि
	सकल	राज्यों को हस्तांतरित**	निवल	सकल	राज्यों को हस्तांतरित	निवल	
1. निगम कर	101,277	26,089	75,188	82,680	22,391	60,289	24%
2. आय कर	55,976	18,375	37,601	49,258	14,393	34,865	7%
3. ब्याज कर	13		13	50		50	-74%
4. अनुषंगी लाभ कर	4,772	-	4,772	-	-	-	-
5. व्यय कर	31	(-)5	36	35	(-)5	40	10%
6. धन कर	250	51	199	145	49	96	107%
7. प्रतिभूति लेनदेन	2,559	-	2,559	-	-	-	-
8. बैंकिंग रोकड़ लेनदेन	321	-	321	-	-	-	-
9. सीमा शुल्क	65,067	18,422	46,646	57,611	15,800	41,811	12%
10. संघ उत्पाद शुल्क	111,226	24,584	86,642	99,125	21,884	77,241	12%
11. सेवा कर	23,055	6,877	16,177	14,200	4,125	10,075	60%
12. अन्य कर	478	(-)8	485	1,034	(-)42	1076	-54%
13. संघ राज्य क्षेत्रों के कर	1,125	-	1125	819		819	37%
14. एनसीसीएफ को अंतरित अधिभार	(-)1,502	-	(-)1502	(-)1564		(-)1564	-4%
कुल कर राजस्व	**364,649**	**94,385**	**270,264**	**303,393**	**78,595**	**224,798**	**20%**

करेतर राजस्व

सरकार का करेतर राजस्व मुख्यत: ब्याज प्राप्तियों, सार्वजनिक उद्यमों से लाभांश एवं लाभ और विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुल्क/प्रभार के रूप में प्रोद्भूत होता है। करेतर राजस्व संग्रहण जोकि 2004-05 में 81,215 करोड़ रु. था वह 2005-06 के दौरान घटकर 77,198 करोड़ रु. हो गया और इस प्रकार इसमें 4,017 करोड़ रु. [5%] की मामूली कमी हुई।

** ऋण हस्तांतरण राज्य सरकारों से केंद्र को पुनर्अदायगी में चूक के समायोजन के कारण है।

करेतर राजस्व (करोड़ रुपए)			
विवरण	**2005-06**	**2004-05**	**वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि (%)**
ब्याज प्राप्तियां	22,032	31,690	-30
लाभांश और लाभ	25,451	22,939	11
संघ राज्य क्षेत्रों के करेतर राजस्व	791	755	5
अन्य करेतर राजस्व	28,924	25,831	12
कुल करेतर राजस्व	**77,198**	**81,215**	**-5**

ब्याज प्राप्तियां

ब्याज प्राप्तियां सरकार के करेतर राजस्वों का एक मुख्य स्रोत है। ब्याज मुख्यत: संघ सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रदान किए गए कर्जों से प्राप्त होता है। यह अकेले कुल ब्याज प्राप्तियों का 42% होता है। रेलवे (11.8%) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (4.6%) अन्य महत्वपूर्ण अंशदाता हैं।

वर्ष 2005-06 के दौरान कुल ब्याज प्राप्तियां 30,799 करोड़ रु. थीं जो पिछले वर्ष की तुलना में 5,613 करोड़ रु. (15.42%) कम थीं। यह गिरावट मुख्यत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कम ब्याज प्राप्तियों के कारण थी क्योंकि 2004-05 में 22,988 करोड़ रु. की राशि 2005-06 में घटकर 12,803 करोड़ रु. हो गई। रेलवे से ब्याज प्राप्ति में 558 करोड़ रु. की वृद्धि हुई जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों से प्राप्त ब्याज में 1038 करोड़ रुपए की कमी आई।

ब्याज प्राप्तियां (सकल) (करोड़ रुपए)				
स्रोत	**2005-06**	**2004-05**	**2003-04**	**2002-03**
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	12,803	22,988	28,641	29,599
रेलवे	3,642	3,084	3,361	2,689
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	230	314	811	992
सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रम	1,421	2,459	2,226	3,552
अन्य	12,703	7,567	11,606	7,873
कुल	**30,799**	**36,412**	**46,645**	**44,705**

लाभांश

वर्ष 2005-06 के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर 25,451 करोड़ रु. का लाभांश प्राप्त हुआ जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 2,512 करोड़ रु. [11%] अधिक है।

लाभांश - मुख्य स्रोत (करोड़ रुपए)				
मुख्य स्रोत	**2005-06**	**2004-05**	**2003-04**	**2002-03**
सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रम	18,511	15,798	10,386	9,665
भारतीय जीवन बीमा निगम	697	476	488	433
राष्ट्रीयकृत बैंक	807	1,072	1,310	670
भारतीय रिजर्व बैंक	5,400	5,400	8,834	10,320

ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां

ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां मुख्यत: सरकार की परिसंपत्तियों की विक्रय आय होती है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की शेयर पूंजी का विनिवेश शामिल होता है। वर्ष 2005-06 के दौरान सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की शेयर पूंजी के विनिवेश से 1,570 करोड़ रु. (12 करोड़ रु. विनिवेश प्राप्ति के रूप में और अन्य 1,558 करोड़ रु. विनिवेश पर प्रीमियम के रूप में) वसूल किए गए थे।

पूंजीगत प्राप्तियां (करोड़ रुपए)				
स्रोत	**2005-06**	**2004-05**	**2003-04**	**2002-03**
सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में विनिवेश	12	2,036	1,534	3,102
सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों के विनिवेश पर प्राप्त प्रीमियम	1558	2,328	15,098	47
अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	11	61	321	1
कुल	**1,581**	**4,425**	**16,953**	**3,150**

व्यय

वर्ष 2005-2006 के दौरान, कुल व्यय 506,123 करोड़ रु. था। व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 8,441 करोड़ रु. [2%] की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय 439,761 करोड़ रु. था, जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा 55,410 करोड़ रु. [14%] की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय 66,362 करोड़ रु. था जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा 46,969 करोड़ रु. [41%] की कमी आई। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का भाग 13% था।

व्यय
(करोड़ रुपए)

विवरण	2005-06			2004-05			वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
	योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल	
राजस्व	**111,858**	**327,903**	**439,761**	**87,494**	**296,857**	**384,351**	**14%**
सामान्य सेवाएं	94	222,971	223,065	94	214,454	214,548	4%
सामाजिक सेवाएं	24,435	9,406	33,841	19,418	8,663	28,081	20%
आर्थिक सेवाएं	43,682	61,532	105,214	28,435	56,132	84,567	24%
सहायता अनुदान	43,647	33,994	77,641	39,547	17,608	57,155	36%
पूंजीगत	**28,780**	**37,582**	**66,362**	**44,798**	**68,533**	**113,331**	**-41%**
सामान्य सेवाएं	330	34,703	35,033	311	33,762	34,073	3%
सामाजिक सेवाएं	751	31	782	878	(-)51	827	-5%
आर्थिक सेवाएं	18,377	834	19,211	17,543	32,491	50,034	-62%
कर्ज एवं अग्रिम	9,322	2,014	11,336	26,066	2,331	28,397	-60%
कुल व्यय	**140,638**	**365,485**	**506,123**	**132,292**	**365,390**	**497,682**	**2%**

66,362 करोड़ रु. के कुल पूंजीगत व्यय में से 53,869 करोड़ रु. (81%) परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय किए गए, शेष कर्ज एवं अग्रिम (19%) के रूप में थे।

पूंजीगत व्यय
(करोड़ रुपए)

	परिसंपत्ति निर्माण		ऋण की पुनर्अदायगी*		कर्ज एवं अग्रिम		कुल
1996-97	14,195	34%			27,879	66%	42,074
1997-98	17,526	34%			34,192	66%	51,718
1998-99	18,841	30%			44,038	70%	62,879
1999-00	24,036	49%			24,939	51%	48,975
2000-01	24,745	52%			23,009	48%	47,754
2001-02	29,771	49%			31,071	51%	60,842
2002-03	29,101	39%	13,766	18%	31,668	42%	74,535
2003-04	35,678	32%	46,211	42%	28,739	26%	110,628
2004-05	40,549	36%	32,675	29%	40,107	35%	113,331
2005-06	53,869	81%			12,493	19%	66,362

*नए ऋण में शामिल न किए गए ऋण की पुनर्अदायगी को दर्शाता है।

क्षेत्रवार आबंटन

समग्र रूप से, सामान्य सेवाओं पर व्यय 258,098 करोड़ रु. (कुल व्यय का 51%) था। इसमें राज्यों के अंग, राजकोषीय सेवाएं, पेंशनें रक्षा आदि पर व्यय शामिल हैं। सामाजिक सेवाओं पर व्यय 34,623 करोड़ रु. (कुल व्यय का 7%) और आर्थिक सेवाओं पर 124,425 करोड़ रु. (कुल व्यय का 25%) था। राज्य सरकारों, अन्य सार्वजनिक संस्थाओं और विभिन्न अन्य निकायों को सहायता अनुदान के रूप में 77,641 करोड़ रु.(कुल व्यय का 15%) जारी किए गए थे। वर्ष के दौरान 11,336 करोड़ रु. (कुल व्यय का 2%) के कर्ज और अग्रिम प्रदान किए गए।

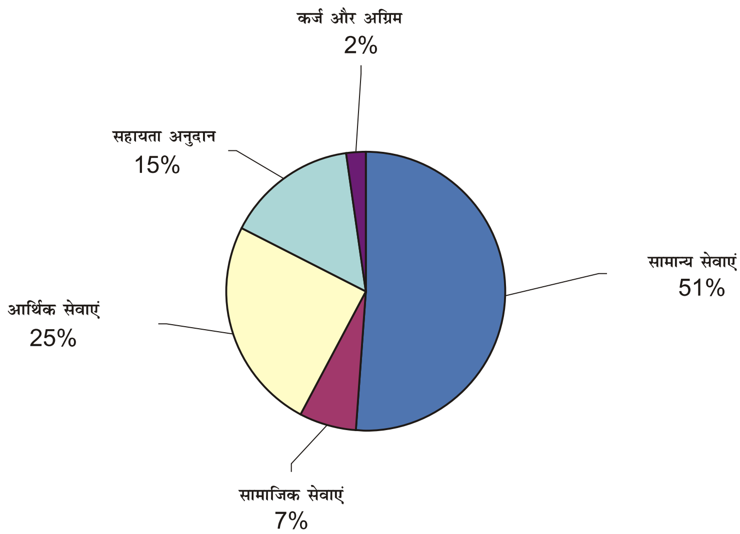

योजना व्यय

2005-06 के दौरान योजना व्यय 140,638 करोड़ रु. था। पिछले वर्ष के 132,292 करोड़ रु. की तुलना में, योजना व्यय में 6% की वृद्धि हुई। केंद्रीय योजना पर 104,658 करोड़ रु. (कुल योजना व्यय का 74%) का व्यय हुआ और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं को केंद्रीय सहायता पर 35,980 करोड़ रु. (कुल योजना व्यय का 26%) व्यय किए गए।

योजना व्यय
(करोड़ रुपए)

विवरण	2005-06		2004-05	
केंद्रीय योजना	**104,658**	**74%**	**80,135**	**61%**
राजस्व	81,081	57%	58,033	44%
पूंजीगत	23,577	17%	22,102	17%
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं को केंद्रीय सहायता	**35,980**	**26%**	**52,157**	**39%**
राजस्व	30,777	22%	29,461	22%
पूंजीगत	5,203	4%	22,696	17%
कुल	**140,638**	**100%**	**132,292**	**100%**

योजनेतर व्यय

वर्ष 2005-06 के दौरान योजनेतर व्यय 365,485 करोड़ रु. था। पिछले वर्ष के 365,390 करोड़ रु. की तुलना में योजनेतर व्यय लगभग स्थिर रहा। अकेले ब्याज अदायगियां (132,630 करोड़ रु.) ही कुल योजनेतर व्यय का 36% लेखाबद्ध की गईं। रक्षा व्यय (80,549 करोड़ रु.) और आर्थिक सहायताएं (45,068 करोड़ रु.) योजनेतर व्यय की अन्य प्रमुख मदें थीं।

योजनेतर व्यय - मुख्य संघटक
(करोड़ रुपए)

विवरण	2005-06		2004-05		वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
ब्याज	132,630	36%	126,934	35%	4%
आर्थिक सहायताएं	45,068	12%	46,608	13%	-3%
रक्षा	80,549	22%	75,856	21%	6%
पेंशनें	20,255	-6%	18,300	5%	11%
पुलिस	12,379	3%	10,654	3%	16%
सहायता अनुदान	31,689	9%	15,774	4%	100%
कर्ज	2,105	1%	2,492	1%	-16%
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को पुनर्अदायगी	....	....	32,675	9%	...
अन्य	40,810	11%	36,097	10%	13%
कुल	**365,485**	**100%**	**365,390**	**100%**	**0%**

पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज अदायगियों में 4% की वृद्धि हुई जबकि रक्षा पर व्यय में 6% की वृद्धि हुई। आर्थिक सहायताओं तथा कर्जों पर व्यय में क्रमश: 3% तथा 16% की कमी आई। पेंशनों (20,255 करोड़ रु.) और पुलिस (12,379 करोड़ रु.) पर व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा 11% और 16% की वृद्धि हुई।

आर्थिक सहायताएं

आर्थिक सहायताओं पर व्यय वर्ष 2004-05 के 46,608 करोड़ रु. से घटकर वर्ष 2005-06 में 45,068 करोड़ रु. रह गया, इसमें 1,540 करोड़ रु. की गिरावट आई। 23,077 करोड़ रु. की खाद्य सहायता आर्थिक सहायता बिल का प्रमुख संघटक बना रहा। उर्वरक सहायता 18,460 करोड़ रु. और पेट्रोलियम सहायता 2,683 करोड़ रु. थी।

मुख्य आर्थिक सहायताएं (करोड़ रुपए)			
विवरण	2005-06	2004-05	वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि
खाद्य	23,077	25,797	-11%
उर्वरक	18,460	15,880	16%
पेट्रोलियम	2,683	2,956	-9%
अन्य	848	1,975	-57%
कुल	**45,068**	**46,608**	-3%

यद्यपि पेट्रोलियम और खाद्य आर्थिक सहायता में क्रमशः 9% तथा 11% की गिरावट आई, उर्वरक सहायता में 16% की वृद्धि हुई।

निवल उधार

सरकारी उधार प्रक्रिया के मुख्य लाभग्राही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और विभिन्न सार्वजनिक निगम एवं संस्थाएं होती हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान, सरकार ने 12,492 करोड़ रु. के नए कर्ज लिए और पिछले वर्षों में प्राप्त 11,800 करोड़ रु. के कर्जों की चुकौती की। इस प्रकार, अग्रिमों के भंडार में 692 करोड़ रु. की सीमांत रूप से वृद्धि हुई । वर्ष 2005-06 के अंत में, सरकार के पास 231,035 करोड़ रु. के अग्रिम थे।

सरकार द्वारा लिए गए उधार (करोड़ रुपए)					
विवरण	01-अप्रैल-05	वृद्धियां	प्राप्तियां	31 मार्च 06	वृद्धि/कमी
राज्य सरकारें	160,045	5,507	8,548	157,004	-3,041
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें	1,123	147	250	1,020	-103
विदेशी सरकारें	3,135	392	114	3,413	278
सरकारी निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, कृषक आदि	63,698	6,143	2,382	67,459	3,761
सरकारी कर्मचारी	2,342	303	506	2,139	-203
कुल	**230,343**	**12,492**	**11,800**	**231,035**	**692**

निवेश

वर्ष के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) आदि में 6,964 करोड़ रु. का निवेश किया। 31 मार्च, 2006 को कंपनियों में सरकार का कुल निवेश 142,501 करोड़ रु. था।

कंपनियों आदि में सरकार का निवेश (करोड़ रुपए)	
विवरण	**निवेश की गई राशि**
निर्माणाधीन कंपनियां	11,059
सांविधिक निगम	4,445
सरकारी कंपनियां	105,183
अंतर्राष्ट्रीय निकाय	2,217
राज्य सहकारी बैंक/अन्य बैंक	19,202
सहकारी समितियां	395
कुल	**142,501**

ऋण और अन्य देयताएं

राजस्व की अपेक्षा व्यय के आधिक्य को पूरा करने के लिए सरकार आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से उधार का सहारा लेती है जिसे लोक ऋण के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अलावा, लोक लेखे में प्रोद्भवन भी सरकार के घाटे के बजट के वित्तपोषण के स्रोत के रूप में काम करता है।

31 मार्च, 2006 को सरकार की कुल देयताएं 1,868,843 करोड़ रु. थीं। आंतरिक ऋण 1,389,758 करोड़ रु. (74%), बाह्य ऋण (ऐतिहासिक मूल्य पर) 94,243 करोड़ रु. (5%) और अन्य देयताएं 384,842 करोड़ रु. ** (21%) थीं।

भारत सरकार के ऋण और अन्य देयताएं

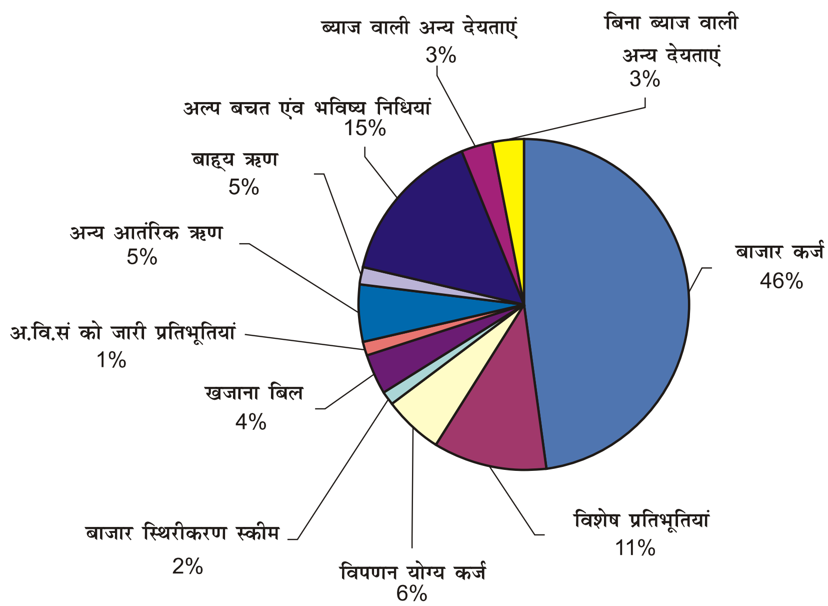

31 मार्च, 2006 को कुल लोक ऋण (ऐतिहासिक मूल्य पर लिया गया बाह्य ऋण) 1,484,001 करोड़ रु. था। वर्ष के आरंभ में 1,336,849 करोड़ रु. की अपेक्षा वर्ष के दौरान लोक ऋण में 11% की वृद्धि हुई। लोक ऋण 31.3.2006 को चालू विनिमय दर पर 1,583,957 करोड़ रु. था जबकि 31.3.2005 को यह 1,467,242 करोड़ रु. था।

**31.3.2006 के लोक लेखे मे केंद्र सरकार की कुल देयता 776,144 करोड रुपए थी। इसमें से 391,302 करोड़ रुपए राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश किए गए और इस लेखे में 384,842 करोड़ रुपए की बकाया निवल देयता थी।

आंतरिक ऋण

आंतरिक ऋण के मुख्य संघटक बाजार कर्ज, भारतीय रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां, 1.4.1999 से अल्प बचतों के निवल संग्रहण की तुलना में केंद्र सरकार को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, प्रतिपूर्ति और अन्य बांड आदि हैं। इसके अतिरिक्त खजाना बिलों से उधार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि को जारी की गई प्रतिभूतियां भी आंतरिक ऋण का भाग होती हैं।

वर्ष के आरंभ में आंतरिक ऋण का कुल भंडार, 1,275,971 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष के अंत में 1,389,758 करोड़ रु. हो गया। बाजार कर्ज 103,374 करोड़ रु. से बढ़कर 862,369 करोड़ रु. हो गया।

आंतरिक ऋण
(करोड़ रुपए)

स्रोत	01 अप्रैल 05	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च 06	वृद्धि/कमी
बाजार कर्ज	758,995	131,000	27,626	862,369	103,374
अ.वि.सं. को जारी प्रतिभूतियां	21,644	3,845	337	25,152	3,508
364 दिन के खजाना बिल	26,147	29,018	26,151	29,014	2,867
14 दिन के खजाना बिल	14,607	891,982	867,249	39,340	24,733
विक्रेय प्रतिभूतियां	111,818	0	8,000	103,818	-8,000
रा.अ.ब.नि. को केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (31.3.99)	83,569	0	0	83,569	0
रा.अ.ब.नि. को केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूति (1.4.99)	118,701	0	449	118,252	-449
बाजार स्थिरीकरण स्कीम	64,211	85,262	120,411	29,062	-35,149
अन्य	76,279	80,892	57,989	99,182	22,903
कुल आंतरिक ऋण	**1,275,971**	**1,221,999**	**1,108,212**	**1,389,758**	**113,787**

बाजार स्थिरीकरण स्कीम को मुख्य रूप से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा के अंतर्वाह के कारण बाजार में उपलब्ध अधिक चल निधि को आमेलित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2004-05 में शुरु किया गया था। 31.3.2006 को बाजार स्थिरीकरण स्कीम के अंतर्गत 29,062 करोड़ रु. का बकाया शेष था।

बाह्य ऋण

2005-06 के अंत में बाह्य ऋण का भंडार (ऐतिहासिक विनिमय दरों पर) 94,243 करोड़ रु. था, जो कुल बकाया ऋण का 6.35% है। वर्तमान विनिमय दर पर (31.3.2006 की स्थिति के अनुसार) यह 194,199 करोड़ रु. था - इसमें 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार बकाया 191,271 करोड़ रु. की अपेक्षा 2,928 करोड़ रु. की वृद्धि हुई।

बाह्य ऋण (करोड़ रुपए)

स्रोत	ऐतिहासिक विनिमय दरों पर					
	01 अप्रैल 05	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च 06	वृद्धि/कमी	वर्तमान मूल्य
आई.डी.ए.	44,571	5,280	2,766	47,085	2,514	104,539
जापान	21,085	2,357	2,172	21,270	185	39,896
एशियाई विकास बैंक	2,222	5,452	112	7,562	5,340	8,321
जर्मनी	151	1,005	447	709	558	10,190
आई बी आर डी	-1,320	20,207	595	18,292	19,612	19,639
नीदरलैंड	-16	0	0	-16	0	0
संयुक्त राज्य अमेरिका	-5,147	1,661	451	-3,937	1,210	3,071
अन्य	-668	4,401	455	3,278	3,946	8,543
कुल बाह्य ऋण	**60,878**	***40,363**	**6,998**	**94,243**	**33,365**	**194,199**

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

विदेशी मुद्रा में बाह्य ऋण (करोड़ रुपए)

स्रोत	मुद्रा	01 अप्रैल 05	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च 06	वृद्धि/कमी
एडीबी	अमरीकी डालर	141	48	3	186	45
जर्मनी	यूरो	198	0	8	190	-8
आईबीआरडी	अमरीकी डालर	377	76	14	439	62
आईडीए	अमरीकी डालर	501	0	25	476	-25
आईडीए	एसडीआर	1,238	83	25	1,296	58
जापान	येन	103,362	6,574	5,525	104,411	1,049
रूसी परिसंघ	रुपए	1,184	0	112	1,072	-112
रूसी परिसंघ	अमरीकी डालर	55	25	0	80	245

**इसमें विदेशी विनिमय दरों में विभिन्नता के कारण बट्टे खाते डाले गए 25,893 करोड़ रुपए शामिल हैं। तदनुसार बाह्य ऋण में वास्तविक वृद्धि 14,470 करोड रुपए थी।

लोक लेखे की देयताएं

31.3.2006 को लोक लेखे में 384,842 करोड़ रु. की कुल देयताएं थीं। ब्याज वाली देयताएं 329,029 करोड़ रु. की थीं और शेष 55,813 करोड़ रु. की बिना ब्याज वाली देयताएं थीं।

लोक लेखे की देयताएं (करोड़ रुपए)					
विवरण	01 अप्रैल 05	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च 06	वृद्धि/कमी
अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	**263,048**	**291,276**	**278,944**	**275,380**	**12,332**
अन्य ब्याज वाली	46,202	25,505	18,058	53,649	7,447
आरक्षित निधि	9,318	17,477	14,047	12,748	3,430
जमा	36,884	8,028	4,011	40,901	4,017
अन्य बिना ब्याज वाली	46,787	60,035	51,009	55,813	9,026
आरक्षित निधि	8,632	19,238	17,775	10,095	1,463
जमा	38,155	40,797	33,234	45,718	7,563
कुल	**356,037**	376,816	348,011	384,842	28,805

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि

भारत के लोक लेखे में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को 1.4.1999 को स्थापित किया गया था। इस निधि में धन विभिन्न अल्प बचत स्कीमों के अभिदाताओं से प्राप्त किया जाता है और इसमें उपलब्ध शेष को केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। इसमें निवेश का स्वरूप भारत सरकार के समय-समय पर निर्धारित मानदडों के अनुरूप होता है। 1 अप्रैल, 2002 से अल्प बचतों के समग्र निवल संग्रहण को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त संग्रहणों के अनुपात में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) की विशेष प्रतिभूतियों में पुन: निवेश किया जाता है।

वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय अल्प बचत निधि संग्रहण (निवल) 1,34,761 करोड़ रु. था, जिसमें से 89,767 करोड़ रु. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में तथा 1,347 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किए गए थे। इस अवधि के दौरान निधि की आय (इसके निवेश करने पर) और व्यय क्रमश: 49,675 करोड़ रु. और 52,442 करोड़ रु. था। इस प्रकार, इस निधि का शेष जो कि वर्ष के आरंभ में 28,224 करोड़ रु. था वह वर्ष के अंत में सीमांत रूप से घटकर 19,429 करोड़ रु. रह गया।

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (करोड़ रुपए)					
विवरण	01 अप्रैल 05	वृद्धियां	उन्मोचन	31 मार्च 06	वृद्धि/कमी
अंतर्वाह	**532,030**	**249,823**	**115,062**	**666,791**	**134,761**
संग्रहण	532,030	249,823	115,062	666,791	134,761
बचत जमा	256,684	138,025	77,044	317,665	60,981
बचत प्रमाण पत्र	191,893	39,810	28,014	203,689	11,796
सार्वजनिक भविष्य निधि	83,453	22,313	10,004	95,762	12,309
निवेश से आय		49,675		49,675	49,675
बहिर्वाह	**503,806**	**518**	**144,075**	**647,362**	**143,556**
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का निवेश	503,806	518	144,075	647,362	143,556
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	202,271	449	1,796	203,618	1,347
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	301,535	69	89,836	391,302	89,767
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि का व्यय			52,442	52,442	52,442
शेष	**28,224**	**249,305**	**-29,012**	**19,429**	**-8,795**

31 मार्च, 2006 को इस स्कीम के अभिदाताओं के प्रति निधि के कुल भंडार में 666,791 करोड़ रु. की देयताएं थीं, जिसमें से 317,665 करोड़ रु. बचत जमाओं के लिए, 203,689 करोड़ रु. बचत प्रमाण पत्रों के लिए और 95,762 करोड़ रु. सार्वजनिक भविष्य निधि के रूप में रखे गए थे।

वर्ष 2005-06 के अंत में निधि का निवेश 647,362 करोड़ रु. था, जिसमें से 391,302 करोड़ रु. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में और शेष 203,618 करोड़ रु. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किए गए थे।

आकस्मिक देयताएं

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन संघ सरकार, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा निर्धारित करे, गारंटियां दे सकती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली में यह अनुबद्ध किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में सरकार सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक धनराशि के लिए गारंटी नहीं देगी।

इन प्रावधानों के अधीन, सरकार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को उनके उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, उनके शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी तथा उधार पर सामग्रियों

और उपस्कर की आपूर्तियों के लिए अदायगी की गारंटी देती है। इन गारंटियों में सरकार की ऐसी आकस्मिक देयताओं को शामिल किया जाता है जिन्हें ऐसी गारंटियों के लाभार्थियों द्वारा कोई चूक होने की स्थिति में भारत की समेकित निधि से उन्मोचित किया जाना होता है।

वर्ष 2005-06 के दौरान, सरकार द्वारा 118,560 करोड़ रु. की अधिकतम राशि की गारंटी दी गई थी जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.32% थी। 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार 110,626 करोड़ रु. की गारंटियां बकाया थीं। वर्ष के आरंभ में बकाया गारंटियों में 17,979 करोड़ रु. की वृद्धि हुई। वर्ष 2004-05 के दौरान वसूल किए गए 382 करोड़ रु. की तुलना में सरकार ने गारंटी शुल्क के रूप में 310 करोड़ रु. वसूल किए।

सरकार की गारंटियां
(करोड़ रुपए)

	विवरण	**31 मार्च 05**	**31 मार्च 06**	**वृद्धि/कमी**
1	भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को मूलधन और ब्याज आदि की पुनर्अदायगी के लिए गारंटियां	38,810	39,298	488
2	सांविधिक निगमों और वित्तीय संस्थाओं को शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम लाभांश की अदायगी, बांडों/कर्जों आदि की पुनर्अदायगी के लिए गारंटियां	21,453	23,971	2,518
3	मूलधन की पुनर्अदायगी, कर्ज आदि पर ब्याज/प्रतिबद्धता प्रभारों की अदायगी और कंपनियों, निगमों, पत्तन न्यासों आदि को आपूर्ति के लिए करारों के प्रति अदायगी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता अभिकरणों, विदेशी सरकारों आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में गारंटियां	46,743	46,467	-276
4	कंपनियों/निगमों को आपूर्तियों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को प्राधिकार पत्रों के लिए बैंकों को प्रति गारंटियां	903	873	-30
5	रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को	-	-	-
6	विदेशों में भारतीय कंपनियों को प्रदान की गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निष्पादन गारंटियां	48	17	-31
	कुल	**107,957**	**110,626**	**2,669**

विनियोग लेखे

वर्ष 2005-06 के लिए संसद ने संघ सरकार के सिविल मंत्रालयों के लिए 98 अनुदानों के अंतर्गत 1060,167 करोड़ रु. के कुल प्रावधान को अनुमोदन प्रदान किया। इस प्रावधान को वर्ष के दौरान 463,022 करोड़ रु. के पूरक अनुदान आदि के माध्यम से बढ़ाकर 1523,189 करोड़ रु. कर दिया गया। 1523,189 करोड़ रु. का अंतिम प्रावधान पिछले वर्ष की तुलना में 540,799 करोड़ रु. (55%), अधिक था।

इस प्रावधान के अंतर्गत वर्ष के दौरान किया गया वास्तविक व्यय 1590,085 करोड़ रु. (स्वीकृत प्रावधान का 104%) था। प्रभारित अंश के अंतर्गत व्यय (1288,817 करोड़ रु.) प्रावधान से 95,678 करोड़ रु. अधिक हो गया। दूसरी ओर, स्वीकृत अंश में 28,782 करोड़ रु. की बचत हुई।

विनियोग लेखे (सिविल) का सार
(करोड़ रुपए)

	मूल प्रावधान (1)	अंतिम प्रावधाान (2)	अंतर (3)=(2)-(1)	वास्तविक व्यय (4)	अंतर (5)=(4)-(2)
प्रभारित	767,645	1193,138	425,493	1288,816	(+) 95,678
स्वीकृत	292,522	330,051	37,529	301,269	(-) 28,782
कुल	**1060,167**	**1523,189**	**463,022**	**1590,085**	**(+) 66,896**

स्वीकृत व्यय कुल व्यय का 19% था, शेष 81% प्रभारित व्यय था।

प्रभारित व्यय

वर्ष 2005-06 के दौरान सिविल मंत्रालयों के प्रभारित व्यय में मुख्य रूप से ऋण की पुनर्अदायगी (1115,210 करोड़ रु.), ब्याज अदायगियां (141,375 करोड़ रु.) और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण (30,457 करोड़ रु.) शामिल थे। ये तीनों मिलकर कुल प्रभारित व्यय का 99.86% था। विनियोग – 'ऋण की पुनर्अदायगी' में विभिन्न परिपक्वताओं के खजाना बिलों के उन्मोचन और अर्थोपाय अग्रिम पर 1035,659 करोड़ रु. की राशि शामिल है।

अधिक व्यय

अनुदानों/विनियोगों के राजस्व/पूंजीगत भाग के अंतर्गत कुल प्रावधानों से अधिक व्यय होने के आठ मामले थे। बड़ी मात्रा में अधिक व्यय विनियोग संख्या 35-ब्याज अदायगियां, जहां राजस्व भाग के अंतर्गत प्रावधान 3343.02 करोड़ रु. अधिक हो गया और विनियोग सं. 38

–ऋण की पुनर्अदायगी के अंतर्गत हुआ, जहां पूंजीगत भाग के अंतर्गत प्रावधान 93,529.22 करोड़ रु. अधिक हो गया। अनुदान सं. 8 – उर्वरक विभाग के अंतर्गत राजस्व भाग में 167,44 करोड़ रु. का अधिक व्यय हुआ।

समस्त प्रावधान से अधिक व्यय
(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की सं. और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		वास्तविक व्यय		अधिक व्यय	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
8	उर्वरक विभाग	19248.11		19415.55		167.44	
11	खान मंत्रालय	0.10		0.12		0.02	
33	मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा स्टाम्प	0.55		2.40		1.85	
35	विनियोग-ब्याज अदायगियां	138031.86		141374.88		3343.02	
38	विनियोग - ऋण की पुनर्अदायगी		1021680.84		115210.06		93529.22
61	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	1383.94		1401.21		17.27	
96	चंडीगढ़		151.83		152.11		0.28
99	लक्षद्वीप	234.09		237.68		3.59	

बचत

वर्ष 2005-06 के दौरान, सिविल अनुदानों/विनियोगों के संबंध में 30,167 करोड़ रु. की बचत हुई। अधिक व्यय भी हुआ जो कुल 97,063 करोड़ रु. था। इस प्रकार, सिविल अनुदानों/विनियोगों के संबंध में 66,896 करोड़ रु. का निवल अधिक व्यय हुआ। निम्नलिखित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचतें हुई।

महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान/विनियोग सं.	विवरण	भाग	बचत (करोड़ रुपए)	कारण
6	नाभिकीय विद्युत स्कीमें	पूंजीगत स्वीकृत	1013	कुदानकुलम परियोजना के लिए रूस से सामग्री के नौभरण में विलंब होने तथा सुनामी दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए धीमी प्रगति होने के कारण ।
19	खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग	राजस्व स्वीकृत	3299	वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सहायता में कमी किए जाने के कारण
21	रक्षा मंत्रालय	राजस्व स्वीकृत	1497	बिक्री कर को हटाए जाने तथा मूल्यवर्धित कर को लागू किए जाने के कारण बिक्री में कमी आने, स्मार्ट कार्डों के शामिल किए

				जाने से क्रय क्षमता पर आर्थिक सीमा का अधिरोपण होने तथा सेवा कार्मिक के लिए शराब के प्राधिकार में कमी होने के कारण
34	वित्तीय संस्थाओं को अदायगी	राजस्व स्वीकृत	1523	भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा प्रवर्तित दो आश्वासित प्रतिलाभ स्कीमों के बन्द किए जाने तथा कार्यबल की सिफारिशों के अनुसार अल्प अवधि ऋण संरचना को पुन: जीवित करने के लिए निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण ।
36	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अंतरण	राजस्व स्वीकृत	1106	घरेलू विद्युतीकरण स्कीम को राज्य क्षेत्र से केन्द्रीय क्षेत्र में अंतरित किए जाने के कारण।
42	राजस्व विभाग	राजस्व स्वीकृत	2595	मूल्य वर्धित कर को प्रवर्तित किए जाने के कारण राजस्व की हानि की वजह से राज्यों से दावों की कम प्राप्ति होने के कारण ।
49	परिवार कल्याण विभाग	राजस्व स्वीकृत	1067	आर. सी. एच. औषधियों, स्वत: निपटान सिरिंजों तथा कोल्ड चेन उपस्करों की अधिप्राप्ति न किए जाने, राज्यों को दैनंदिनी वैक्सीनों की कम आपूर्ति किए जाने तथा पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण ।
50	भारी उद्योग विभाग	राजस्व स्वीकृत	1184	भारी इंजीनियरी निगम लि. के पुन:प्रवर्तन योजना को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण ।
73	विद्युत मंत्रालय	पूंजीगत स्वीकृत	1417	तीस्ता लो डैम IV, उड़ी-II तथा पार्वती-III में निवेश करने के अनुमोदन में देरी होने सीयोम-टेक (टी ई सी) में निवेश करने के अनुमोदन की उपलब्धता न होने तथा किशन गंगा स्कीम में संशोधन के कारण कार्य को सौंपे न जाने के कारण ।
86	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	पूंजीगत स्वीकृत	1564	6 लेनों वाली तथा एक्सप्रैस-वे से संबंधित स्कीमों को अन्तिम रूप न दिए जाने तथा 'पश्चिम बंगाल गलियारा परियोजना' को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अंतरित किए जाने के कारण ।

परिशिष्ट

1.	दस वर्षीय सारांश	37
2.	करेतर राजस्वों का विवरण	39
3.	वाणिज्यिक प्राप्तियों का विवरण	40
4.	योजनेतर व्यय का विवरण	41
5.	आर्थिक सहायताओं का विवरण	43
6.	मंत्रालयों/विभागों का व्यय	47
7.	100 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक के अनुदान/विनियोग	59
8.	आंतरिक ऋण की परिपक्वता का ब्योरा	63

दस वर्षीय सारांश

	96-97	97-98	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06
राजस्व प्राप्तियां	126,280	133,902	149,510	181,513	192,624	201,449	230,803	265,054	306,013	347,462
सकल कर राजस्व	128,762	139,220	143,797	171,752	188,603	187,060	216,266	254,348	303,393	364,649
निगम कर	18,567	20,016	24,529	30,692	35,696	36,609	46,172	63,562	82,680	101,277
आय कर	18,234	17,101	20,240	25,655	31,764	32,004	36,866	41,379	49,258	55,976
सीमा शुल्क	42,851	40,193	40,668	48,420	47,542	40,268	44,852	48,629	57,611	65,067
संघ उत्पाद शुल्क	45,008	47,962	53,246	61,902	68,526	72,555	82,310	90,774	99,125	111,226
सेवा कर	1,059	1,586	1,957	2,128	2,613	3,302	4,122	7,891	14,200	23,055
केन्द्र को निवल कर राजस्व	93,701	95,673	104,652	128,271	136,658	133,662	159,425	186,982	224,798	270,264
करेतर राजस्व	32,578	38,229	44,858	53,242	55,966	67,787	71,379	78,072	81,215	77,198
ब्याज प्राप्तियां	22,119	25,343	30,062	33,896	32,811	35,538	37,622	38,538	35,714	22,032
लाभांश और लाभ	6,293	7,944	7,584	9,554	13,575	17,290	21,230	21,160	22,939	25,451
ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां	455	912	5,874	1,724	2,125	3,646	3,151	16,953	66,467	12,226
विनिवेश से आय	454	911	5,373	1,724	2,125	3,646	3,149	16,632	4,364	1,570
व्यय	201,008	232,068	279,338	298,111	325,611	362,453	399,451	472,444	497,682	506,123
योजना व्यय	53,535	59,077	66,818	76,182	82,669	101,194	111,470	122,280	132,292	140,638
योजनेतर व्यय	147,473	172,991	212,520	221,929	242,942	261,259	287,981	350,164	365,390	365,485
राजस्व व्यय	158,934	180,350	216,459	249,136	277,857	301,611	338,682	363,316	384,351	439,761
पूंजीगत व्यय	42,074	51,718	62,879	48,975	47,754	60,842	60,769	109,128	113,331	66,362
उधार ऋण पुनर्अदायगी	20,339	25,875	33,404	14,808	10,962	17,880	(-)2523	(-)38497	663	692
राजकोषीय घाटा	66,733	88,937	113,321	104,744	118,815	140,954	131,306	123,272	125,202	146,435
राजस्व घाटा	32,654	46,448	66,949	67,623	85,233	100,162	107,879	98,262	78,338	92,299
प्रारंभिक घाटा	7,255	23,300	35,439	14,495	19,501	33,494	13,816	(-)816	(-)1732	13,805
लोक ऋण	493,553	550,440	637,630	900,329	993,715	1,112,957	1,216,757	1,325,909	1,467,242	1,583,957
आंतरिक ऋण	344,476	388,998	459,696	714,254	803,698	913,061	1,020,689	1,141,706	1,275,971	1,389,758
बाहय ऋण (वर्तमान मूल्य)	149,077	161,442	177,934	186,075	190,017	199,896	196,068	184,203	191,271	194,199
भारत सरकार की अन्य देयताएं	276,962	333,964	374,856	219,720	245,127	286,582	331,419	333,725	356,037	384,842
सकल घरेलू उत्पाद के प्रति प्रतिशत										
सकल घरेलू उत्पाद के प्रति प्रतिशत के रुप में राजस्व प्राप्तियां	9.9%	8.6%	8.5%	9.3%	9.2%	8.8%	9.3%	9.6%	9.8%	9.7%
सकल घरेलू उत्पाद के प्रति प्रतिशत के रुप में सकल कर प्राप्तियां	10.1%	8.9%	8.2%	8.8%	9.0%	8.1%	8.8%	9.2%	9.7%	10.2%
सकल घरेलू उत्पाद के प्रति प्रतिशत के रुप में करेतर राजस्व	2.6%	2.4%	2.5%	2.7%	2.7%	3.0%	2.9%	2.8%	2.6%	2.2%
सकल घरेलू उत्पाद के प्रति प्रतिशत के रुप में व्यय	15.7%	14.8%	15.8%	15.2%	15.6%	15.8%	16.2%	17.1%	15.9%	14.2%
सकल घरेलू उत्पाद के प्रति प्रतिशत के रुप में राजस्व व्यय	12.4%	11.5%	12.3%	12.7%	13.3%	13.1%	13.7%	13.2%	12.3%	12.3%
सकल घरेलू उत्पाद के प्रति प्रतिशत के रुप में पूंजीगत व्यय	3.3%	3.3%	3.6%	2.5%	2.3%	2.6%	2.5%	4.0%	3.6%	1.9%
सकल घरेलू उत्पाद के प्रति प्रतिशत के रुप में राजकोषीय घाटा	5.2%	5.7%	6.4%	5.4%	5.7%	6.1%	5.3%	4.5%	4.0%	4.1%
सकल घरेलू उत्पाद के प्रति प्रतिशत के रुप में राजस्व घाटा	2.6%	3%	3.8%	3.5%	4.1%	4.4%	4.4%	3.6%	2.5%	2.6%
सकल घरेलू उत्पाद के प्रति प्रतिशत के रुप में लोक ऋण	38.7%	35.2%	36.2%	46.0%	47.6%	48.5%	49.3%	48.0%	47.0%	44.4%
सकल घरेलू उत्पाद के प्रति प्रतिशत के रुप में आंतरिक ऋण	27.0%	24.9%	26.1%	36.5%	38.5%	39.8%	41.3%	41.4%	40.9%	39.0%
सकल घरेलू उत्पाद के प्रति प्रतिशत के रुप में बाहय ऋण	11.7%	10.3%	10.1	9.5%	9.1%	8.7%	7.9%	6.7%	6.1%	5.4%

करेतर राजस्व

(करोड़ रुपए)

विवरण	2005-2006			2004-2005		
	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
क ब्याज प्राप्तियां						
सकल	*29244.78*	*30776.81*	*105*	*35788.42*	*35714.26*	*100*
घटाएं-उधार की लागत में कटौती करके ली गई बाजार उधारों की आनुषंगिक प्राप्तियां	*8000.00*	*8744.38*	*109*	*4250.00*	*4024.55*	*95*
निवल	**21244.78**	**22032.43**	**104**	**31538.42**	**31689.71**	**100**
ख लाभांश और लाभ	25481.00	25450.51	**100**	20798.92	22939.32	110
ग संघ राज्य क्षेत्रों के करेतर राजस्व	**753.52**	**790.74**	**105**	**698.95**	**754.72**	**108**
घ अन्य करेतर राजस्व						
राजकोषीय सेवाएं अन्य सामान्य सेवाएं-	2340.61	1689.35	72	1345.58	1057.67	79
सकल	*9116.53*	8818.22	*97*	*10753.09*	*8975.02*	*83*
घटाएं-बट्टे खाते डाले गए कर्ज	-	-	-	*200.00*	*200.00*	*100*
निवल	9116.53	8818.22	97	10553.09	8775.02	83
सामाजिक सेवाएं	1596.12	1615.45	101	352.38	424.90	121
आर्थिक सेवाएं						
सकल	*81725.39*	*84179.47*	*103*	*71008.63*	*75586.23*	*106*
घटाएं-कर्जों/ब्याज का अधित्याग	*263.44*	*471.82*	*179*	*712.10*	*674.77*	*95*
निवल	81461.95	83707.65	103	70296.53	74911.46	107
सहायता अनुदान एवं अंशदान	3018.71	3023.06	100	3064.20	2561.77	84
कुल अन्य करेतर राजस्व	**97533.92**	**98853.73**	**101**	**85611.78**	**87730.82**	**102**
घटाएं						
वाणिज्यक विभाग	70677.92	69929.77	99	63548.07	61899.13	97
निवल अन्य करेतर राजस्व	**26856.00**	**28923.96**	**108**	**22063.71**	**25831.69**	**117**
निवल करेतर राजस्व	**74335.30**	**77197.64**	**104**	**75100.00**	**81215.44**	**108**

वाणिज्यिक प्राप्तियां

(करोड़ रुपए)

विवरण	2005-2006			2004-2005		
	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
1 करेंसी नोट प्रेस	370.00	240.42	64.98	360.65	249.40	69.15
2 बैंक नोट प्रेस	300.00	261.72	87.24	350.00	275.30	78.66
3 प्रतिभूति कागज मिल	131.06	95.23	72.66	108.98	68.76	63.09
4 भारत प्रतिभूति प्रेस	180.00	203.81	113.23	272.00	147.19	54.11
5 प्रतिभूति मुद्रणालय	38.00	27.71	72.92	38.00	26.79	70.49
कुल राजकोषीय सेवाएं	**1019.06**	**828.89**	**81.34**	**1129.63**	**767.44**	**67.94**
अन्य सामान्य सेवाएं						
6 कैंटीन स्टोर विभाग	4470.00	4112.32	92.00	6000.00	4674.47	77.91
आर्थिक सेवाएं						
7 दिल्ली दुग्ध योजना	193.00	192.12	99.54	186.70	178.33	95.52
8 अफीम एवं एल्केलायड फैक्टरियां	242.00	280.87	116.06	260.00	238.34	91.67
9 ईंधन संरचना सुविधा*	698.70	562.42	80.50	536.87	485.45	90.42
10 राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र*	0.00	0.00	0.00	68.53	60.27	87.95
11 ईंधन माल सूची*	831.41	898.83	108.11	358.23	338.43	94.47
12 भारी पानी पूल प्रबंधन*	406.91	324.12	79.65	202.16	193.23	95.58
13 बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र	1257.12	1263.74	100.53	1430.72	1386.03	96.88
14 प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाश पोत	91.50	127.46	139.30	80.00	98.71	123.39
15 डाक प्राप्तियां	5046.70	5023.49	99.54	4455.00	4431.85	99.48
16 भारतीय रेल	56421.52	56315.51	99.81	48840.23	49046.58	100.42
कुल आर्थिक सेवाएं	**65188.86**	**64988.56**	**99.69**	**56418.44**	**56457.22**	**100.07**
कुल	**70677.92**	**69929.77**	**98.94**	**63548.07**	**61899.13**	**97.41**

* *इन मामलों में वास्तविक आंकड़े परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अलग से प्रस्तुत किए गए अनुसार है।*

योजनेतर व्यय

(करोड़ रुपए)

	2005-2006			2004-2005		
	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
क राजस्व व्यय						
1 ब्याज अदायगियां						
सकल	*138031.86*	*141374.88*	*102.42*	*130154.80*	*130958.22*	*100.62*
घटाएं प्रोद्भूत ब्याज	*8000.00*	*8744.38*	*109.30*	*4250.00*	*4024.55*	*94.70*
निवल	130031.86	132630.50	102.00	125904.80	126933.67	100.82
2 रक्षा	48624.86	48211.11	99.15	43517.15	43862.13	100.79
3 मुख्य सहायताएं (खाद्य, चीनी, उर्वरक तथा निर्यात संवर्धन)	43383.10	42383.93	97.70	45015.15	42364.07	94.11
4 ब्याज तथा अन्य आर्थिक सहायताएं	3491.02	2683.80	76.88	1499.28	1975.19	131.74
5 डाक घाटा	1112.70	1177.05	105.78	1457.11	1365.27	93.70
6 पुलिस	12592.52	12379.07	98.30	10541.59	10653.60	101.06
7 पेंशन	20232.40	20255.45	100.11	18338.41	18300.14	99.79
8 आम चुनाव	257.19	199.87	77.71	1161.50	1161.25	99.98
9 अन्य सामान्य सेवाएं (राज्य के अंग, कर संग्रहण, विदेश मामले आदि)	9267.24	9295.50	100.30	8340.12	12847.49	154.04
10 सामाजिक सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण आदि)	9281.79	9406.55	101.34	8268.38	8662.70	104.77
11 राज्य आपदा राहत कार्य को सहायता-सकल	*3062.00*	*3061.44*	*99.98*	2819.69	*2583.12*	*91.61*
घटाएं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से पूरी की गई राशि	*2825.00*	*2825.00*	100.00	2600.00	*2600.00*	
निवल	237.00	*236.44*	99.76	219.69	-16.88	
12 रेलवे को लाभांश राहत एवं अन्य रियायतें	985.68	985.68	100.00	1333.00	954.34	71.59

-जारी

	2005-2006			2004-2005		
	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%	संशोधित अनुमान	वास्तविक	%
13 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अनुदान	47.15	47.15	100.00	40.00	40.00	100.00
14 आर्थिक सेवाएं (कृषि, उद्योग, विद्युत, परिवहन, संचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि)	12667.33	14017.31	110.66	13300.13	10145.45	76.28
15 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	30390.43	30474.69	100.28	14827.81	14783.61	99.70
16 बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	2315.78	2305.32	99.55	1695.16	1834.33	108.21
17 विदेशी सरकारों को अनुदान	1268.76	1214.46	95.72	936.28	990.40	105.78
कुल-राजस्व व्यय	**326186.81**	**327903.88**	**100.53**	**296395.56**	**296856.76**	**100.16**
(ख) पूंजीगत व्यय						
1 रक्षा	33075.14	32337.87	97.77	33482.85	31993.80	95.55
2 अन्य योजनेतर पूंजीगत परिव्यय	3634.70	3266.06	89.86	3353.91	1533.12	45.71
3 सार्वजनिक उद्यमों को कर्ज	2017.09	2069.97	102.62	1808.67	10895.26	602.39
4 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज	98.50	739.04	750.29	715.00	612.38	85.65
5 विदेशी सरकारों को कर्ज	174.21	128.91	74.00	290.58	282.62	97.26
6 अन्य योजनेतर कर्ज	(-)133.57	(-)833.26	623.84	(-)248.17	(-)9298.27	3746.73
7 बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	(-)138.82	(-)127.30	91.70	(-)59.03	(-)160.94	272.64
8 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि की पुनर्अदायगी	0.00	0.00	0.00	32665.00	32675.00	100.03
कुल-पूंजीगत व्यय	**38727.25**	**37581.29**	**97.04**	**72008.81**	**68532.97**	**95.17**
कुल-योजनेतर व्यय	**364914.06**	**365485.17**	**100.16**	**368404.37**	**365389.73**	**99.18**

आर्थिक सहायताओं का विवरण
2005-2006

(करोड़ रुपए)

श्रेणी	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
मुख्य आर्थिक सहायताएं -			**46097.90**	**43383.10**	**44219.58**
खाद्य	19	2408	26200.00	23200.00	23077.00
देशी (यूरिया) उर्वरक	8	2852	10110.37	10410.37	10652.58
आयातित (यूरिया) उर्वरक	8	2401	943.53	1093.53	1210.84
किसानों को रियायत के साथ विनियंत्रित उर्वरक की बिक्री	8	2401	5200.00	5749.20	6596.20
पेट्रोलियम संबंधी आर्थिक सहायता	71	2802	3644.00	2930.00	2682.96
ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता			**383.52**	**2182.84**	**2176.31**
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू करने के लिए बैंकों से लिए गए कर्ज-			61.52	66.25	60.35
आई.टी.आई. लि.	15	2852	*2.63*	*2.57*	*1.73*
मझगांव डॉक लि.	21	2852	*0.33*	*0.33*	*0.33*
हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	91	2852	*56.81*	*56.81*	*51.75*
मेकन लि.	91	2852	*1.75*	*6.54*	*6.54*
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू करने के लिए बैंक से वित्त	50	2852	24.00	24.00	23.30
भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक	34	2885	0.00	119.47	*119.47*
गोअन बैंक्स	34	2885	0.08		0.08

–जारी

श्रेणी	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
खादी ग्रामोद्योग आयोग–			**27.36**	**27.36**	**27.36**
(क) खादी उद्योग के लिए	4	2851	*22.00*	*22.00*	*22.00*
(ख) अन्य ग्रामीण उद्योगों के लिए	4	2851	*5.36*	*5.36*	*5.36*
एनआरडीसी को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	84	3425	0.20	0.00	-
दंगा पीड़ितों को ब्याज राहत	32	2235	1.16	1.16	1.16
वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के संबंध में जीवन बीमा निगम को ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता	34	2235	269.19	244.59	244.59
किसानों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	34	2235	0.00	1700.00	1700.00
होनहार और जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा कर्ज	32	2202	0.01	0.01	-
निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता	**12**	**3453**	**661.07**	**673.11**	**848.15**
अन्य आर्थिक सहायता (ब्योरे अलग से दिए गए हैं)			**943.04**	**1308.18**	**1125.07**
कुल आर्थिक सहायता			**48085.53**	**47547.23**	**48369.11**

अन्य आर्थिक सहायता 2005-2006

(करोड़ रुपए)

श्रेणी	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
नेफेड को एमआईएम/पीएसएस के लिए अनुदान	1	2401	260.00	260.00	260.00
हज चार्टरों के प्रचालन के लिए आर्थिक सहायता	9	3053	225.00	280.00	280.00
सामान्य बीमा निगम इत्यादि के माध्यम से गरीबों के लिए बीमा योजनाएँ	32	2235	0.01	2.34	0.00
चीनी के सुरक्षित भंडार के अनुरक्षण पर आर्थिक सहायता	19	2408	160.00	125.00	58.94
आयातित खाद्य तेल पर हुई हानि के लिए एसटीसी को भुगतान	19	3456	0.01	0.01	0.00
शिपयार्डों को आर्थिक सहायता			**111.55**	**123.07**	**101.53**
कोचीन शिपयार्ड लि.	85	2852	*45.00*	*51.00*	*51.00*
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	85	2852	*42.54*	*51.07*	*50.53*
गैर-केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शिपयार्ड और निजी क्षेत्र के शिपयार्ड	85	2852	*24.00*	*21.00*	*0.00*
जहाजों का अधिग्रहण-ब्याज विभेदक	34	3052	*0.01*	*0.00*	*0.00*
पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता	55	3053	20.00	20.00	19.74
असम गैस परियोजना को आर्थिक सहायता	7	2852	0.01	0.01	0.00
विनिमय हानि के लिए प्रतिपूर्ति-			**13.71**	**43.07**	**43.16**
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	34	3475	*5.00*	*0.00*	*0.00*
भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	34	3475	*0.01*	*35.64*	*35.64*
राष्ट्रीय आवास बैंक	34	3475	*7.70*	*6.93*	*7.08*
एनआरआई बांड स्कीम के अंतर्गत विनिमय हानि	32	3475	*1.00*	*0.50*	*0.44*
जम्मू व कश्मीर में उधारकर्ताओं के लिए ऋण राहत स्कीम	55	3475	0.02	0.02	0.00

-जारी

श्रेणी	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
गारंटी शुल्क आर्थिक सहायता–			**1.46**	**7.89**	**7.59**
हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	91	2852	*0.92*	*6.10*	*6.10*
भारत रिफैक्ट्रीज लि.	91	2852	*0.54*	*0.54*	*0.24*
गारंटी शुल्क के अधित्याज के लिए मेकन लि.	91	2852	*0.00*	*1.25*	*1.25*
दिल्ली के दंगा प्रभावित व्यक्तियों के लिए ऋण राहत स्कीम	55	3475	0.25	0.25	0.00
कर्जों को बट्टे खाते डालना– एचएफसीएल, एमएफएल और एफएसीटी	8	3475	0.01	0.01	0.00
बाजार प्रचालन के लिए भारतीय जूट निगम	92	2852	30.00	30.00	30.00
समर्थन मूल्य के अन्तर्गत भारतीय कपास निगम	92	2852	30.00	285.67	285.67
चीनी के निर्यात पोतारोहण पर चीनी कारखानों को आतंरिक परिवहन और भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति	19	2408	90.00	90.00	37.44
समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को आर्थिक	34	2235	0.01	2.34	0.00
कृषि ऋण के लिए आर्थिक सहायता	34	2416	1.00	37.50	0.00
राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केन्द्र को सहायता	85	2852	-	1.00	1.00
कुल-अन्य आर्थिक सहायता			**943.04**	**1308.18**	**1125.07**

मंत्रालयों/विभागों का व्यय 2005-2006

(दर्शाए गए आंकड़े प्राप्तियों और वसूलियों के निवल आंकड़े हैं)

(करोड़ रुपए)

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
1	कृषि एवं सहकारिता	3890.00	3817.46	380.51	375.39	4270.51	4192.85
	राजस्व	3614.67	3560.08	380.05	374.95	3994.72	3935.03
	पूंजी	275.33	257.38	0.46	0.44	275.79	257.82
2	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	1070.00	1046.75	830.00	829.65	1900.00	1876.40
	राजस्व	1070.00	1046.75	830.00	829.65	1900.00	1876.40
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	पशु पालन एवं डेरी	599.00	589.16	41.61	38.27	640.61	627.43
	राजस्व	596.79	587.46	41.61	38.27	638.40	625.73
	पूंजी	2.21	1.70	0.00	0.00	2.21	1.70
4	कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	871.52	867.99	87.63	87.42	959.15	955.41
	राजस्व	871.02	867.99	86.32	86.26	957.34	954.25
	पूंजी	0.50	0.00	1.31	1.16	1.81	1.16
5-6	परमाणु ऊर्जा	2766.00	2566.67	986.10	1116.19	3752.10	3682.86
	राजस्व	236.76	228.37	494.52	629.36	731.28	857.73
	पूंजी	2529.24	2338.30	491.58	486.83	3020.82	2825.13
7	रसायन एवं पेट्रो रसायन	55.00	32.08	750.00	748.99	805.00	781.07
	राजस्व	23.88	12.96	720.95	696.04	744.83	709.00
	पूंजी	31.12	19.12	29.05	52.95	60.17	72.07
8	उर्वरक	105.00	103.87	17287.00	18317.36	17392.00	18421.23
	राजस्व	18.02	16.89	17261.82	18276.21	17279.84	18293.10
	पूंजी	86.98	86.98	25.18	41.15	112.16	128.13
9	नागर विमानन	370.85	366.04	392.02	391.28	762.87	757.32
	राजस्व	5.85	2.85	392.02	391.28	397.87	394.13
	पूंजी	365.00	363.19	0.00	0.00	365.00	363.19

–जारी

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
10	कोयला	255.00	228.49	36.64	34.56	291.64	263.05
	राजस्व	255.00	228.49	36.64	34.56	291.64	263.05
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	वाणिज्य	1145.00	1117.37	1202.00	1138.20	2347.00	2255.57
	राजस्व	539.00	513.42	1202.00	1138.20	1741.00	1651.62
	पूंजी	606.00	603.95	0.00	0.00	606.00	603.95
12	औद्योगिक नीति और संवर्धन	400.00	381.35	90.60	85.67	490.60	467.02
	राजस्व	391.96	373.32	90.60	85.67	482.56	458.99
	पूंजी	8.04	8.03	0.00	0.00	8.04	8.03
13	डाक	404.00	301.07	1114.71	1178.01	1518.71	1479.08
	राजस्व	38.56	32.79	1112.70	1177.09	1151.26	1209.88
	पूंजी	365.44	268.28	2.01	0.92	367.45	269.20
14	दूरसंचार	92.00	82.61	3943.90	3771.08	4035.90	3853.69
	राजस्व	91.95	82.61	3743.90	3671.08	3835.85	3753.69
	पूंजी	0.05	0.00	200.00	100.00	200.05	100.00
15	सूचना प्रौद्योगिकी	882.00	880.09	34.00	33.54	916.00	913.63
	राजस्व	791.00	789.20	34.00	33.54	825.00	822.74
	पूंजी	91.00	90.89	0.00	0.00	91.00	90.89
16	कम्पनी कार्य	0.00	0.00	90.00	75.19	90.00	75.19
	राजस्व	0.00	0.00	83.50	69.49	83.50	69.49
	पूंजी	0.00	0.00	6.50	5.70	6.50	5.70
17	उपभोक्ता कार्य	90.00	86.45	28.39	25.53	118.39	111.98
	राजस्व	86.34	83.44	27.97	25.11	114.31	108.55
	पूंजी	3.66	3.01	0.42	0.42	4.08	3.43
18	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	60.00	58.20	23496.23	23366.18	23556.23	23424.38
	राजस्व	22.47	21.76	23494.83	23364.78	23517.30	23386.54
	पूंजी	37.53	36.44	1.40	1.40	38.93	37.84

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
19	संस्कृति	400.00	368.11	307.00	301.18	707.00	669.29
	राजस्व	358.20	342.77	307.00	301.18	665.20	643.95
	पूंजी	41.80	25.34	0.00	0.00	41.80	25.34
20-21	रक्षा (सिविल अनुमान)	0.00	0.00	14257.33	14428.51	14257.33	14428.51
	राजस्व	0.00	0.00	13739.58	13991.88	13739.58	13991.88
	पूंजी	0.00	0.00	517.75	436.63	517.75	436.63
22-27	रक्षा सेवाएं	0.00	0.00	81700.00	80548.98	81700.00	80548.98
	राजस्व	0.00	0.00	48624.86	48211.11	48624.86	48211.11
	पूंजी	0.00	0.00	33075.14	32337.87	33075.14	32337.87
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	35.33	34.96	12.48	11.53	47.81	46.49
	राजस्व	13.00	12.63	8.92	7.97	21.92	20.60
	पूंजी	22.33	22.33	3.56	3.56	25.89	25.89
29	पर्यावरण और वन	1100.00	1078.79	178.30	172.79	1278.30	1251.58
	राजस्व	1090.44	1069.83	159.91	154.40	1250.35	1224.23
	पूंजी	9.56	8.96	18.39	18.39	27.95	27.35
30	विदेश मामले	719.00	707.85	3463.00	3381.76	4182.00	4089.61
	राजस्व	440.60	444.71	3353.58	3290.10	3794.18	3734.81
	पूंजी	278.40	263.14	109.42	91.66	387.82	354.80
31-33	आर्थिक कार्य	792.50	730.70	6532.94	5575.04	7325.44	6305.74
	राजस्व	743.31	730.70	5452.74	4577.72	6196.05	5308.42
	पूंजी	49.19	0.00	1080.20	997.32	1129.39	997.32
34-37	आर्थिक कार्य (केन्द्रीयकृत प्रावधान)	0.00	0.00	156873.52	159454.69	156873.52	159454.69
	राजस्व	0.00	0.00	156967.52	159657.11	156967.52	159657.11
	पूंजी	0.00	0.00	-94.00	-202.42	-94.00	-202.42
38-40	व्यय	0.46	0.46	7466.67	7379.01	7467.13	7379.47
	राजस्व	0.46	0.46	7457.09	7371.47	7457.55	7371.93
	पूंजी	0.00	0.00	9.58	7.54	9.58	7.54

–जारी

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
41-43	राजस्व	0.00	0.00	5245.86	5018.17	5245.86	5018.17
	राजस्व	0.00	0.00	5204.62	5020.87	5204.62	5020.87
	पूंजी	0.00	0.00	41.24	-2.70	41.24	-2.70
44	विनिवेश	0.00	0.00	6.13	6.03	6.13	6.03
	राजस्व	0.00	0.00	6.13	6.03	6.13	6.03
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	136.00	113.82	6.55	6.14	142.55	119.96
	राजस्व	136.00	113.82	6.55	6.14	142.55	119.96
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	8500.00	7942.28	1175.83	1357.02	9675.83	9299.30
	राजस्व	8500.00	7942.28	1150.83	1287.81	9650.83	9230.09
	पूंजी	0.00	0.00	25.00	69.21	25.00	69.21
47	आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)	300.00	290.96	64.00	59.98	364.00	350.94
	राजस्व	297.51	288.47	64.00	59.98	361.51	348.45
	पूंजी	2.49	2.49	0.00	0.00	2.49	2.49
48	भारी उद्योग	500.00	382.58	571.32	817.38	1071.32	1199.96
	राजस्व	245.70	186.61	55.32	236.94	301.02	423.55
	पूंजी	254.30	195.97	516.00	580.44	770.30	776.41
49	लोक उद्यम	30.00	27.22	3.74	2.75	33.74	29.97
	राजस्व	30.00	27.22	3.74	2.75	33.74	29.97
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50-54	गृह मामले	300.00	285.36	16561.49	16324.33	16861.49	16609.69
	राजस्व	47.00	41.22	14756.92	14593.75	14803.92	14634.97
	पूंजी	253.00	244.14	1804.57	1730.58	2057.57	1974.72

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
55	प्रारम्भिक शिक्षा तथा साक्षरता	12531.68	11979.55	4.65	4.56	12536.33	11984.11
	राजस्व	12531.68	11979.55	4.65	4.56	12536.33	11984.11
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा	2510.00	2558.68	3290.00	3266.78	5800.00	5825.46
	राजस्व	2509.99	2558.68	3290.00	3266.78	5799.99	5825.46
	पूंजी	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
57	महिला एवं बाल विकास	3875.29	3866.37	56.05	55.89	3931.34	3922.26
	राजस्व	3875.29	3866.37	56.05	55.89	3931.34	3922.26
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	सूचना एवं प्रसारण	454.23	365.37	1182.77	1178.13	1637.00	1543.50
	राजस्व	250.39	164.86	1178.00	1173.36	1428.39	1338.22
	पूंजी	203.84	200.51	4.77	4.77	208.61	205.28
59	श्रम और रोजगार	200.00	192.48	1065.00	1056.17	1265.00	1248.65
	राजस्व	200.00	192.48	1065.00	1056.17	1265.00	1248.65
	पूंजी	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
60	निर्वाचन आयोग	0.00	0.00	12.41	12.19	12.41	12.19
	राजस्व	0.00	0.00	12.41	12.19	12.41	12.19
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	विधि एवं न्याय	100.00	12.24	425.00	364.02	525.00	376.26
	राजस्व	100.00	12.24	424.97	364.02	524.97	376.26
	पूंजी	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
62	भारत का उच्चतम न्यायालय	0.00	0.00	42.21	41.74	42.21	41.74
	राजस्व	0.00	0.00	42.21	41.74	42.21	41.74
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	खान	170.88	160.23	245.58	236.88	416.46	397.11
	राजस्व	169.73	159.12	220.58	211.88	390.31	371.00
	पूंजी	1.15	1.11	25.00	25.00	26.15	26.11

–जारी

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
64	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	350.00	282.05	6.43	5.53	356.43	287.58
	राजस्व	273.65	237.35	6.43	5.53	280.08	242.88
	पूंजी	76.35	44.70	0.00	0.00	76.35	44.70
65	समुद्रपार भारतीय मामले	0.00	0.00	19.10	17.46	19.10	17.46
	राजस्व	0.00	0.00	18.60	17.25	18.60	17.25
	पूंजी	0.00	0.00	0.50	0.21	0.50	0.21
66	महासागर विकास	250.00	225.57	52.00	45.19	302.00	270.76
	राजस्व	250.00	225.05	52.00	45.19	302.00	270.24
	पूंजी	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52
67	पंचायती राज	50.00	48.65	0.49	0.37	50.49	49.02
	राजस्व	50.00	48.65	0.49	0.37	50.49	49.02
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	संसदीय कार्य	0.00	0.00	5.52	4.90	5.52	4.90
	राजस्व	0.00	0.00	5.52	4.90	5.52	4.90
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन	47.00	36.72	227.56	216.41	274.56	253.13
	राजस्व	44.45	35.84	217.01	205.94	261.46	241.78
	पूंजी	2.55	0.88	10.55	10.47	13.10	11.35
70	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	0.00	0.00	2945.66	2695.37	2945.66	2695.37
	राजस्व	0.00	0.00	2945.66	2695.37	2945.66	2695.37
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	योजना	84.80	71.49	33.25	33.06	118.05	104.55
	राजस्व	84.80	71.49	33.25	33.06	118.05	104.55
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	विद्युत	3172.00	2690.74	61.00	57.35	3233.00	2748.09
	राजस्व	1461.36	1455.88	61.00	57.35	1522.36	1513.23
	पूंजी	1710.64	1234.86	0.00	0.00	1710.64	1234.86

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
73-77	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	0.00	0.00	402.19	376.87	402.19	376.87
	राजस्व	0.00	0.00	402.19	376.87	402.19	376.87
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	ग्रामीण विकास	21334.00	21330.01	20.27	20.00	21354.27	21350.01
	राजस्व	21334.00	21330.01	20.27	20.00	21354.27	21350.01
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	भू संसाधन	1396.00	1394.17	3.29	3.20	1399.29	1397.37
	राजस्व	1396.00	1394.17	3.29	3.20	1399.29	1397.37
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	पेय जल पूर्ति	4760.00	4736.09	1.52	1.52	4761.52	4737.61
	राजस्व	4760.00	4736.09	1.52	1.52	4761.52	4737.61
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	1050.00	1016.12	396.00	376.62	1446.00	1392.74
	राजस्व	918.21	904.30	393.30	375.40	1311.51	1279.70
	पूंजी	131.79	111.82	2.70	1.22	134.49	113.04
82	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान	756.00	726.88	745.00	743.21	1501.00	1470.09
	राजस्व	737.03	708.40	745.00	743.21	1482.03	1451.61
	पूंजी	18.97	18.48	0.00	0.00	18.97	18.48
83	जैव प्रौद्योगिकी	389.00	387.05	13.60	13.85	402.60	400.90
	राजस्व	389.00	387.05	13.60	13.85	402.60	400.90
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	जहाजरानी	400.00	361.19	535.92	467.10	935.92	828.29
	राजस्व	106.82	85.04	522.89	457.51	629.71	542.55
	पूंजी	293.18	276.15	13.03	9.59	306.21	285.74

–जारी

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
85	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	9782.64	9318.62	1975.75	1834.67	11758.39	11153.29
	राजस्व	3562.48	3756.05	1781.12	1698.03	5343.60	5454.08
	पूंजी	6220.16	5562.57	194.63	136.64	6414.79	5699.21
86	लघु उद्योग	408.91	352.42	61.71	52.16	470.62	404.58
	राजस्व	393.91	337.42	52.24	52.16	446.15	389.58
	पूंजी	15.00	15.00	9.47	0.00	24.47	15.00
87	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	1533.70	1593.08	66.00	62.95	1599.70	1656.03
	राजस्व	1415.60	1474.98	66.00	62.95	1481.60	1537.93
	पूंजी	118.10	118.10	0.00	0.00	118.10	118.10
88	अंतरिक्ष	2300.00	2294.29	375.00	373.09	2675.00	2667.38
	राजस्व	1722.27	1730.75	375.00	373.09	2097.27	2103.84
	पूंजी	577.73	563.54	0.00	0.00	577.73	563.54
89	सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन	87.10	80.02	153.29	157.30	240.39	237.32
	राजस्व	78.85	72.16	153.29	157.30	232.14	229.46
	पूंजी	8.25	7.86	0.00	0.00	8.25	7.86
90	इस्पात	15.00	15.00	84.50	77.15	99.50	92.15
	राजस्व	0.00	0.00	82.50	77.15	82.50	77.15
	पूंजी	15.00	15.00	2.00	0.00	17.00	15.00
91	वस्त्र	1185.21	1093.83	1106.82	1074.98	2292.03	2168.81
	राजस्व	1175.98	1087.11	646.15	618.61	1822.13	1705.72
	पूंजी	9.23	6.72	460.67	456.37	469.90	463.09
92	पर्यटन	786.00	768.24	40.91	32.03	826.91	800.27
	राजस्व	300.25	285.56	38.70	32.03	338.95	317.59
	पूंजी	485.75	482.68	2.21	0.00	487.96	482.68
93	जनजातीय कार्य	330.00	322.96	10.35	7.98	340.35	330.94
	राजस्व	329.99	322.96	10.35	7.98	340.34	330.94
	पूंजी	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
99-101	शहरी विकास	2580.33	2800.85	1095.13	1156.07	3675.46	3956.92
	राजस्व	599.90	578.46	868.59	944.03	1468.49	1522.49
	पूंजी	1980.43	2222.39	226.54	212.04	2206.97	2434.43
102	शहरी रोजगार तथा गरीबी निवारण	400.00	380.67	9.00	-20.99	409.00	359.68
	राजस्व	400.00	380.67	3.39	-26.60	403.39	354.07
	पूंजी	0.00	0.00	5.61	5.61	5.61	5.61
103	जल संसाधन	500.00	510.39	248.00	250.63	748.00	761.02
	राजस्व	454.86	469.07	231.90	235.00	686.76	704.07
	पूंजी	45.14	41.32	16.10	15.63	61.24	56.95
104	युवा मामले और खेल	410.00	385.39	68.01	64.47	478.01	449.86
	राजस्व	403.89	383.61	67.98	64.47	471.87	448.08
	पूंजी	6.11	1.78	0.03	0.00	6.14	1.78
105	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	रेलवे	7185.00	7811.46	0.00	0.00	7185.00	7811.46
	राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पूंजी (शीर्ष 5002 और 5003)	7185.00	7811.46	0.00	0.00	7185.00	7811.46
	केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग						
	कुल	107253.43	104657.58	362304.44	362874.66	469557.87	467532.24
	राजस्व	82835.87	81080.49	323465.84	325238.06	406301.71	406318.55
	पूंजी	24417.56	23577.09	38838.60	37636.60	63256.16	61213.69
	राज्य की योजनाएं (पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास सहित)						
	कुल	35074.45	34609.36	0.00	0.00	35074.45	34609.36
	राजस्व	30345.45	29881.00	0.00	0.00	30345.45	29881.00
	पूंजी	4729.00	4728.36	0.00	0.00	4729.00	4728.36

-जारी

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
	राज्य की योजनाएं	33933.78	33470.17	0.00	0.00	33933.78	33470.17
	राजस्व	29259.78	28796.70	0.00	0.00	29259.78	28796.70
	पूंजी	4674.00	4673.47	0.00	0.00	4674.00	4673.47
1	कृषि एवं सहकारिता	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00
	राजस्व	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	वित्त	29776.41	29640.17	0.00	0.00	29776.41	29640.17
	राजस्व	25102.41	24966.70	0.00	0.00	25102.41	24966.70
	पूंजी	4674.00	4673.47	0.00	0.00	4674.00	4673.47
89	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	1580.00	1433.90	0.00	0.00	1580.00	1433.90
	राजस्व	1580.00	1433.90	0.00	0.00	1580.00	1433.90
	पूंजी	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
85	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	1478.55	1297.28	0.00	0.00	1478.55	1297.28
	राजस्व	1478.55	1297.28	0.00	0.00	1478.55	1297.28
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	जनजातीय कार्य	1068.82	1068.82	0.00	0.00	1068.82	1068.82
	राजस्व	1068.82	1068.82	0.00	0.00	1068.82	1068.82
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	1140.67	1139.19	0.00	0.00	1140.67	1139.19
	राजस्व	1085.67	1084.30	0.00	0.00	1085.67	1084.30
	पूंजी	55.00	54.89	0.00	0.00	55.00	54.89
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र	461.50	460.02	0.00	0.00	461.50	460.02
	राजस्व	406.50	405.13	0.00	0.00	406.50	405.13
	पूंजी	55.00	54.89	0.00	0.00	55.00	54.89
28	पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लिए संसाधनों का केन्द्रीय पूल	679.17	679.17	0.00	0.00	679.17	679.17

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
	राजस्व	679.17	679.17	0.00	0.00	679.17	679.17
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	संघ राज्य क्षेत्र	1463.43	1370.82	2609.62	2610.51	4073.05	3981.33
	राजस्व	971.54	896.39	2676.44	2665.82	3647.98	3562.21
	पूंजी	491.89	474.43	-66.82	-55.31	425.07	419.12
	विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	561.49	504.73	432.66	432.50	994.15	937.23
	राजस्व	486.49	429.73	360.66	360.50	847.15	790.23
	पूंजी	75.00	75.00	72.00	72.00	147.00	147.00
	पांडिचेरी	374.10	370.46	431.16	431.16	805.26	801.62
	राजस्व	299.10	295.46	359.16	359.16	658.26	654.62
	पूंजी	75.00	75.00	72.00	72.00	147.00	147.00
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	187.39	134.27	1.50	1.34	188.89	135.61
	राजस्व	187.39	134.27	1.50	1.34	188.89	135.61
	पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	901.94	866.09	2176.96	2178.01	3078.90	3044.10
	राजस्व	485.05	466.66	2315.78	2305.32	2800.83	2771.98
	पूंजी	416.89	399.43	-138.82	-127.31	278.07	272.12
94	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	501.21	485.74	1119.00	1097.57	1620.21	1583.31
	राजस्व	285.89	272.59	1118.41	1095.52	1404.30	1368.11
	पूंजी	215.32	213.15	0.59	2.05	215.91	215.20
95	चंडीगढ़	190.47	197.83	784.84	769.52	975.31	967.35
	राजस्व	114.09	112.72	929.84	927.96	1043.93	1040.68
	पूंजी	76.38	85.11	-145.00	-158.44	-68.62	-73.33
96	दादरा और नागर हवेली	66.70	64.85	49.62	50.09	116.32	114.94
	राजस्व	32.64	30.93	44.27	44.74	76.91	75.67
	पूंजी	34.06	33.92	5.35	5.35	39.41	39.27

–जारी

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	योजना		योजनेतर		कुल	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक
97	दमन और दीव	60.52	58.95	55.50	54.67	116.02	113.62
	राजस्व	21.51	20.05	55.50	54.67	77.01	74.72
	पूंजी	39.01	38.90	0.00	0.00	39.01	38.90
98	लक्षद्वीप	83.04	58.72	168.00	211.12	251.04	269.84
	राजस्व	30.92	30.37	167.76	182.39	198.68	212.76
	पूंजी	52.12	28.35	0.24	28.73	52.36	57.08
	कुल जोड़	143791.31	140637.76	364914.06	365485.17	508705.37	506122.93
	राजस्व	114152.86	111857.88	326142.28	327903.88	440295.14	439761.76
	पूंजी	29638.45	28779.88	38771.78	37581.29	68410.23	66361.17

वर्ष 2005-2006 के लिए 100 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग

(करोड़ रुपए)

	अनुदान संख्या और अनुदान अथवा विनियोग का नाम		अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
			राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
1	कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत	4331.98		3965.73		366.245	
3	पशुपालन एवं डेरी विभाग	स्वीकृत	910.50		809.65		100.85	
5	परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत		1739.23		1441.06		298.17
6	नाभिकीय विद्युत स्कीमें	स्वीकृत		2443.96		1430.50		1013.46
7	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	स्वीकृत		174.48		72.07		102.41
13	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	स्वीकृत	634.31		459.41		174.90	
15	दूरसंचार विभाग	स्वीकृत		202.27		100.00		102.27
19	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत	26789.25	360.07	23490.24	160.98	3299.01	199.09
20	संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	803.50		645.56		157.94	
21	रक्षा मंत्रालय	स्वीकृत	6885.96		5389.29		1496.67	
30	पर्यावरण और वन मंत्रालय	स्वीकृत	1377.35		1227.16		150.19	
31	विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	3874.55		3734.87		139.68	

-जारी

(करोड़ रुपए)

	अनुदान संख्या और अनुदान अथवा विनियोग का नाम		अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
			राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
32	आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	3303.57	2105.01	2650.49	1278.30	653.08	826.71
33	करेंसी, सिक्का निर्माण तथा स्टांप	स्वीकृत	1120.89	304.44	741,81,02	29.85	379.08	274.59
34	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	स्वीकृत	5112.21	1731.06	3589.03	1252.88	1523.18	478.18
36	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	प्रभारित	25874.42	5674.00	25133.91	5323.47	740.51	350.53
		स्वीकृत	32529.16		31422.82		1106.34	
37	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	स्वीकृत		475.00		303.50		171.50
42	राजस्व विभाग	स्वीकृत	5374.20		2778.78		2595.42	
44	अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत		188.73		6.83		181.90
47	स्वास्थ्य विभाग	स्वीकृत	3847.49		3508.82		338.67	
49	परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	7769.03		6701.20		1067.83	
50	भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	1960.01		776.31		1183.70	
52	गृह मंत्रालय	स्वीकृत	906.96		714.95		192.01	
54	पुलिस	स्वीकृत	13023.18	2124.57	12905.36	1971.76	117.82	152.81
55	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	स्वीकृत	1106.99		815.15		291.84	

(करोड़ रुपए)

	अनुदान संख्या और अनुदान अथवा विनियोग का नाम		अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
			राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
57	प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	स्वीकृत	12536.57		12030.65		505.92	
63	विधि और न्याय	स्वीकृत	594.00		376.26		217.74	
65	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	स्वीकृत	535.37		259.19		276.18	
68	महासागर विकास विभाग	स्वीकृत	377.00		270.24		106.76	
71	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	20931.85		19958.22		973.63	
73	विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत		2651.99		1234.86		1417.13
82	विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	1504.20		1297.86		206.34	
86	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	स्वीकृत	8584.38	10635.02	8136.21	9071.39	448.17	1563.63
89	अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	2539.76		2103.81		435.94	
90	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	1817.77		1663.36		154.41	
92	वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	1832.86		1714.58		118.28	
100	शहरी विकास विभाग	स्वीकृत	1612.07		893.78		718.29	

-जारी

(करोड़ रुपए)

	अनुदान संख्या और अनुदान अथवा विनियोग का नाम		अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय		बचत	
			राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
103	शहरी रोजगार और गरीबी निवारण मंत्रालय	स्वीकृत	506.44		388.53		117.91	
104	जल संसाधन मंत्रालय	स्वीकृत	835.58		723.05		112.53	

ब्याज वाले बाजार कर्ज का परिपक्वता ब्योरा

वर्ष	करोड़ रुपए
2006 में परिपक्वता	33,545
2007 में परिपक्वता	31,243
2008 में परिपक्वता	47,226
2009 में परिपक्वता	31,089
2010 में परिपक्वता	57,124
2011 में परिपक्वता	78,543
2012 में परिपक्वता	62,074
2013 में परिपक्वता	44,735
2014 में परिपक्वता	57,862
2015 में परिपक्वता	68,674
2016 में परिपक्वता	28,130
2017 में परिपक्वता	42,887
2018 में परिपक्वता	37,235
2019 में परिपक्वता	20,000
2020 में परिपक्वता	17,000
2021 में परिपक्वता	26,213
2022 में परिपक्वता	30,000
2023 में परिपक्वता	13,000
2026 में परिपक्वता	15,000
2028 में परिपक्वता	32,000
2032 में परिपक्वता	17,000
2034 में परिपक्वता	14,000
2035 में परिपक्वता	29,350
कुल	**861,930**

महालेखा नियंत्रक
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
7वां तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003 (भारत)
दूरभाष : 91-11-24641121, फैक्स : 91-11-24622305
वेबसाइट : www.cgaindia.org